जमाअत इस्लामी हिन्द हलक़ा महाराष्ट्र की मीक़ाती (चार साला) योजना

चाहि और वत्रयहरू

अप्रैल 2015 से मार्च 2019 तक के लिए



जमाअत इस्लामी हिन्द हलक़ा महाराष्ट्र की मीक़ाती (चार साला) योजना नीति और कार्यक्रम

अप्रैल 2015 से मार्च 2019 तक के लिए

क्षेत्रीय कार्यालय

जमाअते-इस्लामी हिन्द, महाराष्ट्र राज्य

4/हामिद बिल्डिंग, पहली मंज़िल, 96/हाफ़िज़ अली बहादुर मार्ग, मौलाना आज़ाद रोड, मोमिनपुरा, मुंबई-400011

फ़ोन : 23082820, फ़ैक्स : 23052002

E-mail: office@jihmaharashtra.org

नोट: यह जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द महाराष्ट्र की नीति और कार्यक्रम (अप्रैल 2015 ई॰ से मार्च 2019 ई॰ तक) का हिन्दी अनुवाद है, किन्तु केवल उर्दू भाषा में लिखित इसकी मूल प्रति सभी उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक और आधिकारिक समझी जाएगी।

> अगस्त 2015 ई. Qty. 1000

बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

प्रस्तावना

सज्जनो, भाइयो और बहनो!

अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू

अलहम्दुलिल्लाह, जमाअत इस्लामी हिन्द की नई मीक़ात (अप्रैल 2015 ई॰ से मार्च 2019 ई॰) का आरम्भ हो चुका है। मुल्क (देश) और मिल्लत (मुस्लिम समाज) के जिन मौजूदा हालात में हम अपनी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं, वे चुनौतियों से भरे हैं। इसके बावजूद अल्लाह की विशेष कृपा और अनुकम्पा है कि देश और महाराष्ट्र राज्य में काम के सारे अवसर बाक़ी हैं। इसपर हम अल्लाह का शुक्र इस तरह अदा कर सकते हैं कि काम के इन अवसरों से हम भरपूर लाभ उठाएँ। फ़ॉसीवादी शिक्तयों के मुक़ाबले के लिए सेक्यूलर (लोकतान्त्रिक) शिक्तयों में एकता पैदा हो रही है। विशेष रूप से हमारे राज्य में ग़ैर-मुस्लिम भाइयों के कई संगठन इस एकता के लिए आगे आ रहे हैं, जिनसे हमारे पहले ही से अच्छे सम्बन्ध हैं। इसके साथ ही ग़ैर-मुस्लिम भाइयों में इस्लाम को जानने की इच्छा पैदा हुई है। इसे भी हमें अपने सामने रखना होगा।

जनवरी 2015 का दावती अभियान (Campaign) 'इस्लाम सबके लिए' के ज़िरए आप 7.8 करोड़ लोगों तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं और मुसलमानों ने भी इस अवसर पर भरपूर साथ दिया। दावत के काम को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम ख़ुद भी इस्लाम पर पूरी तरह अमल करें। हमारे मामलों के फ़ैसले 'दारुल-क़ज़ा' (इस्लामी अदालतों) में हों। ग़ैर-सूदी सोसाइटियों का जाल फैले जिसका नतीजा ग़ैर-सूदी बैंकों के क़ायम होने की सूरत में सामने आए। हमारे शिक्षा-संस्थान भी मुसलमानों और आम लोगों के लिए आदर्श और नमूना साबित हों। इसी तरह हमारे अस्पताल अपने सही इलाज के लिए जाने और पहचाने जाएँ। दूसरी तरफ़

हमें लोकल बॉडीज़ (के चुनाव) में भी अपना रोल अदा करना होगा, जिसके लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए वरना आख़िरी वक़्त पर फ़ैसला लेने के तजरिबे और नतीजे हमारे सामने हैं।

इन तमाम कामों के लिए यकसूई (एकाग्रता) ज़रूरी है। हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) को 'हनीफ़' (एकाग्रचित्त) कहा गया है और क़ुरआन कहता है— ''और उन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि यकसू (एकाग्र) होकर इस दीन की पैरवी के ज़िरए अल्लाह की इबादत करें।'' (क़ुरआन, सूरा-98 बैयिनह, आयत-5) इसलिए आप दीन के लिए यकसू (एकाग्र) हो जाएँ।

आप ख़ुद अपना जाइज़ा लें कि आपके अन्दर कौन-सी योग्यताएँ हैं और इन योग्यताओं का बेहतरीन प्रयोग आप किस क्षेत्र में कर सकते हैं। फिर आवश्यकतानुसार दूसरे क्षेत्रों के साथ सहयोग की भावना भी परवान चढ़ाइए।

आप जानते हैं कि आपकी योग्यताओं के विकसित होने का नाम ही तर्बियत व तज़िकया है। 'तज़िकया' का अर्थ अपनी किमयों और ख़राबियों को दूर करना और ख़ूबियों को बढ़ाना है। मुताला (अध्ययन) इसका महत्त्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए आपको क़ुरआन की कोई एक 'तफ़्सीर' का मुताला मुकम्मल करना है, दस्तूर और रूदाद का मुताला करना है, जिससे हमारे अन्दर रूहानियत भी आएगी और तंज़ीमियत भी। इसके अलावा दुनिया में जो नया लिट्रेचर आ रहा है, उससे भी फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (Personality Development) में शरीक होने का अवसर मिले तो ज़रूर शरीक होइए।

इस मीक़ात में महिलाओं, नवयुवकों और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आप देखेंगे कि इस बार हर विभाग की कमेटी में महिलाएँ भी शरीक हैं। इससे यह सन्देश देना है कि महिलाएँ हर विभाग में काम कर सकती हैं। लेकिन न तो उनपर सख़्ती होगी, न उनपर अनिवार्य होगा। जो महिलाएँ अपनी योग्यताओं को पहचान कर आगे बढ़ना चाहेंगी, उनके लिए अवसर पैदा किए जाएँगे।

बच्चे भविष्य हैं। उनकी तर्बियत पर भरपूर तवज्जोह दें। नौजवान मिल्लत का सरमाया हैं, यूथ विंग के ज़िरए उन्हें संगठित किया जाए और मक़ामी ज़िम्मेदार इसपर पूरी तवज्जोह दें। GIO, SIO, MPJ के स्थानीय ज़िम्मेदारों से सम्बन्ध मज़बूत करें। आप पॉलिसी और प्रोग्राम को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि इस मीक़ात में उद्योग-धन्धे, व्यापार और सरकारी योजनाओं के नाम से एक नए विभाग की स्थापना की गई है। यह नई पहल है। इस विभाग के द्वारा हमारी कोशिश होगी कि उद्योग-धन्धों, व्यापार और सरकारी योजनाओं के मैदान में लोगों का मार्गदर्शन किया जाएगा।

नए लोगों को जमाअत का कारकुन (कार्यकर्ता) बनाना है और कारकुनों को 'रुक्न' (सदस्य) के स्तर तक लाना है। इसके लिए जमाअत के संविधान की धारा 8 की शिक्न (खंड) 8 में हमपर यह ज़िम्मेदारी डाली गई है, इसे अपने सामने रखें। अल्लाह हमारा सहायक हो।

तौफ़ीक़ असलम ख़ान (अमीरे-हल्क़ा, महाराष्ट्र)

बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ''अल्लाह रहमान व रहीम के नाम से।''

जमाअत से जुड़े लोगों से सम्बोधन

मनुष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत उसका मार्गदर्शन है। उसकी सांसारिक ज़रूरतों की तरह सर्वजगत के स्रष्टा ने उसके मार्गदर्शन की भी व्यवस्था की है। उसने इनसान को ज़िम्मेदार हस्ती बनाया है, उसके स्वभाव में भलाई रखी है, उसे अच्छे-बुरे में अन्तर करने की योग्यता दी है, और उसे सजग अन्तरात्मा दी है, जो उसे बुराई पर टोकती है और भलाई पर उभारती है। मानव-समाज को नैतिक मूल्यों की समझ दी ताकि भलाई और बुराई में अन्तर कर सके। सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण व्यवस्था यह की कि इतिहास के हर दौर में मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए अपने रसूल और पैग़म्बर भेजे। ख़ुदा के इन पैग़म्बरों ने इनसान को उसके जीवन का उद्देश्य बताया, वे काम बताए जिनको करने से अल्लाह राज़ी होता है। अल्लाह के प्रदान किए हुए नियमों से लोगों को अवगत किया। व्यक्तित्व का निर्माण, कल्याणकारी समाज के गठन और न्याय के सिद्धान्त बताए। ख़ुदा के इन नेक बन्दों ने न केवल नियम बताए, बल्कि उनपर चलकर उसका व्यावहारिक नमूना पेश किया और सत्यवादिता और सत्य की गवाही देने का वह उच्च आदर्श प्रस्तुत किया जो मानव-समाज के लिए मार्गदर्शन बना। उन्होंने मनुष्यों को पस्ती (अज्ञानता) और अंधेरे से निकाला और बुलन्दी, पवित्रता और सुशीलता से परिचित किया। इनसान पैगुम्बरों की तालीम व हिदायात से कभी बेनियाज नहीं हो सकता है।

अब से कोई डेढ़ हज़ार वर्ष पूर्व अल्लाह के अन्तिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने अल्लाह के आदेशों और निर्देशों को प्रामाणिक और पूर्ण रूप से दुनिया के सामने पेश किया। नबी (सल्ल॰) पर ईमान लाने वालों को मुस्लिम कहा गया, जो अल्लाह के भेजे हुए दीन और उसके मार्गदर्शन पर ईमान रखते हैं और उसे ज़िन्दगी का दस्तूर समझते हैं। अल्लाह ने मुसलमानों पर यह बड़ी ज़िम्मेदारी डाली है कि वे इस दीन को सारे इनसानों तक पहुँचाएँ। सत्य की गवाही दें, भलाई का आदेश दें, बुराई से रोकें और न्याय की वह व्यवस्था स्थापित करें, जो उसने अपने पैग़म्बरों के माध्यम से भेजी है। और अमली तौर पर इसे क़ायम करके दिखा दें।

इस्लाम सारी दुनिया को सम्बोधित करता है। वह क़ियामत तक तमाम इनसानों के लिए अल्लाह की उतारी हुई जीवन-व्यवस्था है। यह एक सच्चाई है कि यह संसार अपने आप पैदा नहीं हो गया, बल्कि अल्लाह तआला ने इसे पैदा किया है। मनुष्य उसका बन्दा और उसकी सृष्टि है। यह मनुष्य की फ़ितरत की माँग है कि अपनी पूरी ज़िन्दगी में उसी की इबादत करे और उसी के आदेशों का पालन करे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो दुनिया व आख़िरत में उसका यह रवैया ख़ुद उसके स्वभाव के विपरीत होगा और वह नाकाम रहेगा। इस्लाम इसी सत्य को स्वीकार करने की दावत देता है। इसे स्वीकार करने से मनुष्य का सम्बन्ध अल्लाह से मज़बूत होगा और वह दुनिया में ज़िम्मेदाराना ज़िन्दगी गुज़ारेगा। उसमें नैतिक मूल्यों की वृद्धि होगी, उसकी अर्थव्यवस्था और सामाजिकता को सही दिशा मिलेगी। उसका पूरा जीवन सही दिशा पर आ जाएगा और आख़िरत में उसे सफलता और कामयाबी मिलेगी।

इस्लाम का यह सम्बोधन प्रत्येक व्यक्ति से है, चाहे वह शासक हो या शासित, अमीर हो या ग़रीब, शहरी हो या ग्रामीण, पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़, उसका सम्बन्ध किसी ख़ुशहाल परिवार, क़बीला और क़ौम से हो या वह किसी पिछड़े परिवार और प्रगतिशील क़ौम का व्यक्ति हो। इसलिए कि दुनिया का हर व्यक्ति अल्लाह का बन्दा और उसका शासित है। अल्लाह और बन्दे का सही सम्बन्ध फ़ितरी तौर पर समाज से असमानता, शोषण, अन्याय और अत्याचार को समाप्त करता है और हर तरह के बिगाड़ से समाज को सुरक्षित रखता है। उसे अनैतिकता से पाक अच्छे अख़लाक़ से परिपूर्ण ज़िन्दगी मिलती है और सभी लोग एक ख़ुदा के बन्दे के रूप में जीवन बिताने लगते हैं। जमाअत इस्लामी हिन्द इसी की ओर बुलाती है।

जमाअत इस्लामी हिन्द एक व्यवस्थित और सुसंगठित जमाअत है। इसका एक लिखित संविधान है, जिसके अनुसार जमाअत अपने काम करती है। इसके सभी काम सलाह-मशविरे से अंजाम दिए जाते हैं। जमाअत के कामों को योजनाबद्ध ढंग से अंजाम देने और कामों के जाइज़ों में सहूलत के लिए चार वर्षीय सत्र का तरीक़ा अपनाया गया है। वर्तमान सत्र 2015-2019 के लिए जमाअत इस्लामी हिन्द ने अपनी नीति बनायी है और इसके अनुसार व्यावहारिक प्रोग्राम बनाया है। नीति और कार्यक्रम बनाने में दीन की स्थापना के उन तक़ाज़ों को विशेष स्थान दिया गया है, जो वर्तमान मिल्ली (सामुदायिक), राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के सुधार से जुड़े हैं। इस्लाम की शिक्षाओं और उसकी रूह के ठीक मुताबिक़ जमाअत इस्लामी हिन्द के निकट बिगाड़ की अस्ल जड़ अल्लाह का इनकार और उसके निर्देशों से बेपरवाही है। इसी तरह मनुष्य के व्यक्तिगत और सामूहिक सुधार का आरम्भ यहाँ से होता है कि मनुष्य अल्लाह पर और उसके मार्गदर्शन पर ईमान लाए और विशुद्ध मन से उसके निर्देशों का पालन करे। मनुष्य में यह सुखद परिर्वतन उसके बाह्य से पहले उसके दिलो-दिमाग़ और अन्तरात्मा में आता है। यह सच्चाई है कि मनुष्य के मन-मस्तिष्क का सुधार बलपूर्वक नहीं हो सकता है। इस सुधार का माध्यम एक है, वह है तत्त्वदर्शितापूर्ण आह्वान, दिल को छू लेने वाले उपदेश, समझने और समझाने के अन्दाज़ में बातचीत। जमाअत इस्लामी हिन्द ने व्यक्ति, समाज और राज्य में सुधार लाने के लिए इसी तरीक़े को अपनाया है और इसके विरोधी हर रवैये को रदद कर दिया है।

मानव के दिल और मस्तिष्क के परिवर्तन और उसे सत्य के आनन्द से अवगत कराने के लिए, आवश्यक है कि जिन ग़लत विचारधाराओं, आस्थाओं, दृष्टिकोणों और रुझानों ने मनुष्य को भटका रखा है, उनसे उन्हें छुटकारा दिलाया जाए। इसी लिए ईश्वरीय निर्देशों का परिचय और पैगम्बरों की शिक्षाओं की व्याख्या के साथ-साथ जमाअत इस्लामी असत्य दृष्टिकोणों और आस्थाओं को रदद करना भी ज़रूरी समझती है। इतिहास के हर दौर की तरह आज भी शिर्क मानव समाज की सबसे बड़ी और स्पष्ट गुमराही है, जिसका खंडन आवश्यक है। दूसरी ओर मीडिया, शिक्षा-प्रणाली और क़ानून और राजनीतिक व्यवस्था पर सत्य का इनकार, नास्तिकता, भौतिकतावाद, स्वार्थपरता, किसी भी प्रकार से आनन्द प्राप्त करने की नीति है, उपभोकतावाद और नैतिक मूल्यों से बेपरवाही के प्रभाव स्पष्ट नज़र आते हैं। इन सभी ग़लत और नकारात्मक रवैयों को अनुचित एवं असत्य ठहराते हुए जमाअत अल्लाह के सभी बन्दों को स्वाभाविक एवं प्राकृतिक धर्म और उसके विश्वव्यापी मूल्यों से अवगत कराना चाहती है, ताकि वे अपने व्यक्तित्व को उन बुलन्दियों की तरफ़ ले जा सकें जो इनसानों की वास्तविक मंज़िल है और आख़िरत (परलोक) की कामयाबी और मुक्ति प्राप्त कर सकें। जमाअत समझती है कि असत्य के खंडन और सत्य के प्रचार-प्रसार का यह काम आपसी बातचीत और एक-दूसरे को समझाने-बुझाने के साथ-साथ व्यावहारिक नमूना पेश करने की भी अपेक्षा करता है। जमाअत की कोशिश है कि मुस्लिम समुदाय अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के निर्माण के ज़रिए उस अच्छी और कल्याणकारी सभ्यता एवं संस्कृति की तस्वीर दुनिया के सामने प्रस्तुत करे, जो ईश्वरीय मार्गदर्शन से फ़ायदा उठाकर सामने आते हैं।

आज का अस्तरीय एवं निम्न कल्चर मनुष्य को आर्थिक मशीन बनाता है। उच्च मानवीय भावनाओं से उसे वंचित करता और आनन्द और लज़्ज़तों का दास बना देता है। इस कल्चर से मनुष्य को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है कि ईश्वरीय आदेशों पर आधारित संस्कृति एवं सभ्यता विकसित हो। वर्तमान नीति में जमाअत ने देश के नौजवानों को इस अस्तरीय एवं निम्न कल्चर के दुष्प्रभावों से बचाने और अच्छे मूल्यों के ज़रिए से उनके चरित्र को सँवारने की ओर विशेष ध्यान दिया है।

हमारे देश के कुछ कट्टरवादी संगठन एक विशेष प्रकार की संस्कृति और कल्चर पूरे देश पर थोपना चाहते हैं। सरकार का मौन समर्थन उसे प्राप्त है। हम इसके घोर विरोधी हैं और इसे देश के लिए अत्यधिक हानिकारक समझते हैं। हम उन लोकतान्त्रिक शक्तियों का समर्थन करते हैं, जो विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक वर्गों के मौलिक अधिकारों की वकालत करती हैं और उसे संविधान की अनिवार्य अपेक्षा समझते हैं।

जमाअत इस्लामी हिन्द मुसलमानों को अपनी सोच, कर्म और नैतिकता एवं आचरण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ उम्मत (समुदाय) के स्थान पर देखना चाहती है। जमाअत की कोशिश है कि मुसलमानों के समाज में इस्लामी संस्कृति एवं सभ्यता नुमायाँ तौर पर नज़र आए। हमें विश्वास है कि मुस्लिम समाज अपना सुधार (इस्लाह) कर ले तो सभ्य समाज और सुसंस्कृति का नमूना पूरी दुनिया को दिखा सकता है।

जमाअत इस तथ्य को अच्छी तरह समझती है कि व्यक्ति और समाज दोनों के सुधार की ओर ध्यान देना ज़रूरी है। यह सच्चाई है कि अच्छा व्यक्ति अच्छे समाज की बुनियादी इकाई है। वहीं यह भी सच्चाई है कि सामूहिक संगठन मनुष्यों के आचरण को बनाने और बिगाड़ने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसलिए सामूहिक संगठनों की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसलिए जमाअत ने सभी सामूहिक संगठनों के सुधार को महत्व दिया है, जिनमें परिवार, शिक्षण संस्थाएँ, जन-कल्याण के संगठन, मीडिया, राज्य और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सभी शामिल हैं। अपनी क्षमता भर जमाअत प्रयास करेगी कि सामूहिक संगठनों के उद्देश्य सही हों, उनके चलाने वाले योग्य हों और उनकी नीयत सही हो और उनकी कार्य-नीति नेकी और भलाई की पाबन्द हो। इस उद्देश्य के लिए जमाअत विशेष रूप से ऐसे संगठनों पर ध्यान देगी जो मुसलमानों द्वारा चलाए जा रहे हैं। सामान्य सामूहिक संस्थानों और संगठनों के सुधार के लिए आम लोगों की तर्बियत (प्रशिक्षण) के अलावा संगठनों और संस्थाओं के ज़िम्मेदारों से विशेष सम्बन्ध बनाएगी और उनके मस्तिष्क और सोच के सुधार की तरफ़ भी ध्यान देगी। परिवार के महत्व को देखते हुए इस्लाम की पारिवारिक शिक्षाओं से आम लोगों को अवगत कराया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि परिवार, शिष्टाचार और शालीनता के केन्द्र-स्थल बन सकें।

आज पूरी दुनिया दमन और अत्याचार का शिकार है, जिसका सबसे उभरा हुआ रूप पूँजीवादी साम्राज्यवाद है। हमारे देश में आक्रामक राष्ट्रवाद का आन्दोलन इस अत्याचार का समर्थक है। जमाअत की कोशिश होगी कि दमन एवं अत्याचार करने वाली सभी विचारधाराओं का खंडन किया जाए और इस्लाम की न्याय पर आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बुनियादों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ जमाअत दुनिया में व्यावहारिक रूप से पाए जानेवाले नियमों, संविधानों, परम्पराओं, रुझानों और रवैयों में जो किमयाँ पाई जाती हैं उनका अपनी हद तक सुधार करने की कोशिश करेगी और उनको और ज़्यादा बिगड़ने से बचाएगी। आम लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों को जो फ़ितरी अधिकार और आज़ादी इस समय प्राप्त है, वह सुरक्षित रहे और जो अधिकार प्राप्त नहीं हैं उनके सम्बन्ध में मनुष्य की अन्तरात्मा जागरूक है।

यह एक सच्चाई है कि जो लोग इस्लाम को देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए सफलता और कल्याण का सोपान समझते हैं और उसके निर्देशों के अनुसार व्यक्ति, समाज एवं राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, उन्होंने अपने लिए एक कठिन रास्ता चुना है। इस समय राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय माहौल इसके अत्यन्त विरुद्ध है। वर्तमान समय इस्लाम को अपना प्रतिद्वंद्वी समझता है, इसे अव्यावहारिक और व्यक्ति एवं समाज के

लिए हानिकारक ठहरा रहा है और इसके विरुद्ध नफ़रत और शत्रुता का माहौल पैदा कर रहा है। उसके पास संसाधन हैं, अपने शैक्षणिक संस्थान हैं, मीडिया है, लिट्रेचर है और शासन एवं सत्ता है, इस कारण हर तरफ़ वे अपनी कोशिशों में सफल होते नज़र आते हैं।

इन सब बातों के बावजूद आपको डरने और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास दीने-हक़ (सत्य धर्म) है। इसकी मज़बूत दलीलें और प्रमाण हैं, जिनका खंडन आसान नहीं है। इस्लाम प्राकृतिक धर्म है। इसकी शिक्षाएँ मनुष्य की प्रकृति को अपील करती हैं। अच्छी प्रकृति के लोग इसे अपनी अन्तरात्मा की आवाज समझकर स्वीकार भी कर सकते हैं। आज की दुनिया जिन अनिगनत समस्याओं से घिरी हुई है, इस्लाम उनका बेहतरीन हल पेश करता है। अगर इन्हें लगातार दलीलों के साथ पेश किया जाता रहे तो दुनिया इसे अधिक दिनों तक रद्द नहीं कर सकेगी। इसके साथ आपके प्रयास, आपकी निष्ठा मानवजाति की भलाई के लिए आपकी चिन्ता और बेचैनी सबसे बड़ी पूँजी है। इससे आशा है कि कोई आपके प्रयासों को पराजित नहीं कर सकेगा और विरोधी शक्तियों पर आप विजयी रहेंगे। अल्लाह का वादा है कि जो समूह उसके दीन का बोलबाला करने के लिए खड़ा होता है, अल्लाह की मदद उसे प्राप्त होती है। दुआ है कि हम सब अल्लाह की मदद के पात्र बनें—

"ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे क़दमों को जमा देगा।" (क़ुरआन, सूरा-47 मुहम्मद, आयत-7)

> (जलालुद्दीन उमरी) अमीर, जमाअत इस्लामी हिन्द

पॉलिसी और उसके तक़ाज़े दावत

पॉलिसी

जमाअत दावत का काम इस तरह अंजाम देगी कि बिरादराने-वतन (देशवासी), इस्लाम की बुनियादों, तौहीद (एकेश्वरवाद), रिसालत व आखिरत (ईशद्दतत्व और परलोकवाद) और उनके ज़रूरी तक़ाज़ों से वाक़िफ़ हो जाएँ और यह हक़ीक़त उनपर वाज़ेह हो जाए कि इस्लाम ही दीने-हक़ (सत्य-धर्म) और अदल व रहमत का वाहिद निज़ाम है, जिसका इख़्तियार करना दुनियावी फ़लाह और उख़रवी नजात (सांसारिक कल्याण और पारलौकिक मोक्ष) की जमानत देनेवाला और जिसका इनकार दुनिया और आख़िरत (लोक और परलोक) के घाटे का कारण है। शिर्क व इलहाद (अनेकेश्वरवाद और अनीश्वरवाद) और दूसरे अक़ाइद व फ़िक्र व नज़रियों के बातिल (असत्य) होने और उनकी अखलाक़ी और समाजी बुराइयों के नुक़सान से वे बख़ुबी वाक़िफ़ हो जाएँ। वहदते-बनी-आदम (मानव-एकता), इनसानों का एहतिराम और इन्सानी बराबरी के इस्लामी तसव्वरात उनपर वाज़ेह हो जाएँ, रंग व नस्ल और ज़बान व इलाक़ा के पूर्वाग्रहों से वे आज़ाद हो सकें, जाति-व्यवस्था के ग़लत और अनुचित होने से अवगत हो सकें और इस्लाम, मुसलमानों और तहरीके-इस्लामी के बारे में उनकी जो अनभिज्ञता, ग़लतफ़हमियाँ और बदगुमानियाँ हों, वे दूर हो जाएँ।

पॉलिसी के तक़ाज़े

जमाअत कोशिश करेगी कि-

- 1. बिरादराने-वतन (देशवासियों) से इनसानी बुनियादों पर ताल्लुक़ात मज़बूत हों।
- 2. वे रसूल (सल्ल॰) की सीरत (व्यक्तित्व और कृतित्व) से अवगत हो जाएँ और आप (सल्ल॰) के बारे में पाई जाने वाली ग़लतफ़हिमयाँ दूर हो जाएँ।
- 3. यह हक़ीक़त उनपर वाज़ेह हो जाए कि इस्लाम अपना अक़ीदा किसी पर ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं थोपता।
- 4. यह हक़ीक़त अच्छी तरह सामने आ जाए कि इस्लाम ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए फ़लाह व नजात का साधन है।

अहदाफ़ (लक्ष्य)

- 1. जमाअत अपने अरकान और कारकुनान के ज़रिए बिरादराने-वतन तक ख़ास तौर पर बाअसर हलक़े तक क़ुरआन और सीरत का पैग़ाम इस तरह पहुँचाएगी कि हरेक रुक्न व कारकुन के ज़रिए से कम-से-कम 8 वतनी भाई हक़ के पैग़ाम से पूरी तरह अवगत हो जाएँ।
- 2. जमाअत इज्तिमाई तौर पर दावत का काम इस तरह अंजाम देगी कि हर वह मक़ाम जहाँ मक़ामी जमाअत हो, वहाँ की कम-से-कम 5 प्रतिशत आबादी तक इस्लाम का पैग़ाम पहुँच जाए।

प्रोग्राम

व्यक्ति के लिए

(1) हर रुक्न व कारकुन कम-से-कम 8 बिरादराने-वतन (ग़ैर-मुस्लिम भाइयों) तक, ख़ास तौर से बाअसर हलक़े तक क़ुरआन और सीरत का पैग़ाम इस तरह पहुँचाएगा कि वे हक़ के पैग़ाम से पूरी तरह अवगत हो जाएँ। इसी के साथ-साथ 4 ग़ैर-मुस्लिम परिवारों से सम्बन्ध रखा जाएगा।

- (2) हर व्यक्ति दावती काम के लिए अपनी सुविधा के अनुसार नीचे लिखे तरीक़े और माध्यम अपनाएगा— व्यक्तिगत मुलाक़ात, लिट्रेचर बाँटना, मोबाइल, इंटरनेट, CD गेट-टुगेदर, टी-पार्टी, इफ़्तार-पार्टी, ईद-मिलन प्रोग्राम, लोगों को खाने पर बुलाना वग़ैरा।
- (3) ग़ैर-मुस्लिम भाइयों को मराठी और अंग्रेज़ी दावती वेबसाइट्स और पोस्टल लाइब्रेरी (इस्लाम दर्शन केन्द्र) से जोड़ने की कोशिश करेगा।
- (4) ग़ैर-मुस्लिम भाइयों में मराठी साप्ताहिक 'शोधन', 'रेडिएंस' और कान्ति का परिचय कराएगा और ख़रीदार बनाने की कोशिश करेगा।
- (5) जमाअत का हर व्यक्ति मराठी ज़बान सीखने की कोशिश करेगा। फिर मराठी ज़बान के तहरीकी लिट्रेचर का अध्ययन करेगा।
- (6) मीक़ात में कम-से-कम एक ग़ैर-मुस्लिम भाई को मुआविन (सहयोगी) बनाने की कोशिश करेगा।

मक़ाम के लिए

- (1) मक़ामी जमाअतें इज्तिमाई (सामूहिक) तौर से दावत का काम इस तरह अंजाम देंगी कि वहाँ की कम-से-कम 5% आबादी तक इस्लाम का पैग़ाम पहुँच जाए।
- (2) हर मक़ाम ग़ैर-मुस्लिम भाइयों के लिए माहाना दावती प्रोग्राम करेगा।
- (3) हर मक़ाम (स्थानीय यूनिट) दीन की दावत के सिलसिले में अपनी सुविधा के अनुसार नीचे लिखे तरीक़े अपनाएगा—

लिट्रेचर बाँटना, बुक स्टॉल, सामूहिक बैठकें, कार्नर मीटिंग, स्ट्रीट दावा वर्क, ग्रुप डिस्कशन, ख़िताबे-आम, सिम्पोज़ियम, ईद-मिलन प्रोग्राम, क़ुरआन-प्रवचन, पैग़म्बर-परिचय सम्मेलन, लेख-प्रकाशन, मोबाइल लाइब्रेरी इत्यादि।

- (4) जमाअत के दावती काम का परिचय कराने और इस काम की अहमियत व ज़रूरत पर बातचीत और सहायता लेने के उद्देश्य से उलमा-ए-किराम और बाअसर मुस्लिम शख़्सियतों से मुलाक़ातें की जाएँगी।
- (5) मक़ामी जमाअतें समाज के मुख़्तिलिफ़ तबक़ों (वर्गों), ग्रुपों और इदारों के ज़िम्मेदारों से मुलाक़ातें और ताल्लुक़ बनाने का काम करेंगी।
- (6) हर मक़ाम अपनी आवश्यकतानुसार मराठी मुक़र्रिरों की तैयारी को यक़ीनी बनाएगा।

हलक़े के लिए

- (1) पूरे इलाक़े में 400 ईद-मिलन प्रोग्राम, 500 ख़िताबे-आम (जन-सभाएँ) और 200 पैग़म्बर परिचय-सम्मेलन का आयोजन मक़ामी जमाअतों/कारकुनों के हलक़ों के ज़रिए कराया जाएगा।
- (2) हलक़े में 100 नए ऐसे दाई (दावत का काम अंजाम देनेवाले) और मुक़रिर हज़रात तैयार किए जाएँगे जो भाषा और ज्ञान के आधार पर सुननेवालों को ग़ौर-फ़िक्र (चिन्तन-मनन) पर उभार सकें।
- (3) हलक़े में मौजूद दाइयों (दावत का काम करनेवालों) को मक़ामी जमाअतों में 'दुआत' (Dawah Expert) की हैसियत से भेजा जाएगा और उनके ज़रिए मक़ामी साथियों को अमली मैदान में दावती तर्बियत दी जाएगी।
- (4) हलक़े की सतह पर मर्द और औरतों के लिए नीचे लिखे लोगों की तैयारी के लिए अलग-अलग कैम्प लगाए जाएँगे—
- (i) दाइयों की तैयारी के लिए कैम्प (ii) मराठी मुक़रिरीन तैयारी कैम्प

- (iii) मराठी अनुवादक व लेखक कैम्प।
- (5) 'दावत' के उनवान से ज़िलई सतहों पर तर्बियती इज्तिमा किए जाएँगे।
- (6) हलक़े के चार बड़े शहरों में हलक़े की तरफ़ से बड़े पैमाने पर 'क़ुरआन प्रवचन' के प्रोग्राम किए जाएँगे।
- (7) कोशिश की जाएगी कि इस मीक़ात में फ़ुल टाइम दुआत (Dawah Expert) की तादाद कम-से-कम 3 हो जाए।
- (8) हलक़े की सतह पर एक दावती मुहिम मनाई जाएगी।
- (9) राज्य स्तर का एक इस्लामिक इनफ़ॉरमेशन सेंटर मुम्बई में क़ायम किया जाएगा।
- (10) हलक़े में क़ायम मराठी और अंग्रेज़ी दावती वेबसाइट को और बेहतर बनाया जाएगा।
- (11) राज्य के परिप्रेक्ष्य में और ग़ैर-मुस्लिम भाइयों की मनोस्थिति (नफ़सियात) और आवश्यकता को सामने रखकर दावती लिट्रेचर की तैयारी की कोशिश की जाएगी।
- (12) हलक़े की सतह पर 'धार्मिक जन-मोर्चा' क़ायम किया जाएगा।
- (13) आदिवासियों में काम के लिए नए सिरे से योजना बनाई जाएगी।
- (14) स्थानीय जमाअतों में मुआविनसाज़ी (ग़ैर-मुस्लिम भाइयों को सहयोगी बनाने का काम) इस तरह किया जाएगा कि इस मीक़ात में 500 की बढ़ोत्तरी हो जाए।
- (15) हलक़े में क़ायम नए हिदायत पानेवाले लोगों की तालीम व तर्बियत के मरकज़ को मुनज़्ज़म (सुसंगठित) व मुस्तहकम (मज़बूत और सुचारु) किया जाएगा, ताकि उनकी तालीम व तर्बियत के अलावा क़ानूनी, समाजी और आर्थिक (मआशी) समस्याएँ भी हल हो सकें।

इस्लामी समाज

पॉलिसी

- (अ) जमाअत मुसलमानों में इस्लाम के सही और जामेअ (व्यापक) तसव्युर, यहाँ तक कि इन्फ़िरादी और इन्तिमाई (व्यक्तिगत और सामूहिक) ज़िन्दगी में उसके तक़ाज़ों को हिकमत के साथ इस तरह वाज़ेह करेगी कि मिल्लत (मुस्लिम समुदाय) के अन्दर आख़िरत की जवाबदेही का एहसास, ख़ुदा की ख़ुशी हासिल करने की तलब और रसूल (सल्लें) की मुहब्बत और इताअत (फ़रमाँबरदारी) का जज़्बा बेदार हो। उनका समाज, तालीमी और जनकल्याण के इदारे इस्लामी तालीमात का आईनादार हों, उनकी ज़िन्दगियाँ फ़िक्र व अमल (चिन्तन और कर्म) की ख़राबियों और शिर्क व बिदअत की गंदगियों से पाक और इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक़ हों। मुसलमानों में अपने ख़ैरे-उम्मत (कल्याणकारी समुदाय) होने का शुऊर पैदा हो और वे हक़ीक़ी दीनी बुनियादों पर एकजुट होकर शहादते-हक़ (हक़ की गवाही देने) का फ़र्ज़ अदा कर सकें और इक़ामते-दीन (धर्म की स्थापना) के अपने उद्देश्य के तक़ाज़े पूरे कर सकें।
- (ब) जमाअत की कोशिश होगी कि परिवार का गठन इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप हो, बच्चों और नौजवानों की इस्लामी तर्बियत की व्यवस्था हो और उन्हें पश्चिमी और मुश्रिकाना संस्कृति के प्रभाव से बचाया जाए। महिलाओं के अधिकार एवं कर्तव्यों का सही ज्ञान हो

और समाज में उनकी वास्तविक हैसियत उन्हें हासिल हो और वे भलाइयों को फैलाने और बुराइयों को रोकने में अपनी भूमिका निभाएँ।

पॉलिसी के तक़ाज़े

इस्लामी समाज

जमाअत कोशिश करेगी कि-

- 1. मुसलमानों में दीन का इल्म आम हो, इस्लामी अक़ाइद व एहकाम (मौलिक धारणाओं और आदेशों) की सच्चाई पर उनका यक़ीन मज़बूत हो। कामों और इबादतों में फ़र्ज़ों व नफ़्लों की दीनी अहमियत और उनमें तरजीहात (धार्मिक प्राथमिकताओं) से वे वाक़िफ़ हों और ग़ैर-इस्लामी तसव्बुरात (धरणाओं) से उनका ज़ेहन पाक हो जाए।
- 2. मुस्लिम समाज में नमाज़ क़ायम करने, ज़कात देने और दूसरे फ़र्ज़ कामों को अदा करने का एहतिमाम हो।
- 3. आपसी कश-म-कश और मसलकी तास्सुब से बुलन्द होकर वे कुरआन व सुन्नत की बुनियाद पर एकजुट हो जाएँ।
- 4. उनपर इस्लामी इज्तिमाइयत की अहमियत व ज़रूरत वाज़ेह हो और उसकी बरकतों और फ़ायदों से वे आगाह हों।
- 5. मुस्लिम नौजवानों का पश्चिमी तहजीब और कल्चर के प्रभाव में आना, जिन्दगी के मक़सद से बेख़बरी और दीन (धर्म) से दूरी जैसे रुझानों को दूर करने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक क़दम उठाए जाएँ।
- 6. मस्जिदें, मुसलमानों की तालीम और तर्बियत का मर्कज़ बनें और इस काम की तरफ़ मस्जिदों के इमाम और ज़िम्मेदारान मुतवज्जेह हों।

- 7. मिल्लत के समाजी, तालीमी और रिफ़ाही इदारे इस्लामी क़दरों की पाबन्द हों, मिसाल के तौर पर अमानत व दियानत, अद्लो-क़िस्त, इनसानों की इज़्ज़त, पारदर्शिता, शूराइयत, उसूल और ज़ाब्तों की पाबन्दी और हुस्न कारकर्दगी।
- 8. रिश्तों के चुनाव में इस्लामी मेयार, निकाह के इस्लामी आदाब, दहेज की बुराई और लानत, फ़िजूलख़र्ची के नुक़सानात, बच्चों की तालीम व तर्बियत के उसूलों और विरासत के शरई क़ायदों से मुसलमान वाक़िफ़ हों और समाज में इस्लामी शिक्षाओं पर अमल करने का एहतिमाम हो।
- 9. शौहर-बीवी में तनाव की रोकथाम के लिए इस्लामी हिदायतों से मुसलमानों को अवगत कराया जाए जिनमें इस्लाही तदबीरें, तहकीम और तलाक़ का मसनून तरीक़ा और ख़ुला के आदाब शामिल हैं। विवादों की सूरत में दारुल-क़ज़ा की ओर रुजूअ किया जाए।
- 10. इस्लाही कमेटियों, शरई पंचायतों और दारुल-क़ज़ा का क़ियाम अमल में लाया जाए।
- 11. ज़कात और उश्च को आम करने और ख़र्च करने के इज्तिमाई नज़्म पर मुसलमान आमादा हों।

अहदाफ़ और (लक्ष्य)

- (1) जमाअत मुसलमानों में दीन के जामे तसव्वुर को इस तरह आम करेगी कि हर मक़ामी जमाअत के दायरे में दस प्रतिशत आबादी अपने नसबुल-ऐन इक़ामते-दीन और उसके तक़ाज़ों से अवगत हो जाए।
- (2) इस्लाम की ख़ानदानी तालीमात को इस तरह आम किया जाएगा कि हर रुक्न व कारकुन उम्मत के 15 लोगों तक इस्लाम की ख़ानदानी

- तालीमात इस तरह पहुँचाए कि वे इससे अच्छी तरह वाक़िफ़ हो जाएँ और उन्हें अमल में लाने की हर मुमकिन कोशिशें करें।
- (3) हलक़े की कम-से-कम 10 प्रतिशत मक़ामी जमाअतों में ऐसे मरकज़ क़ायम किए जाएँगे जहाँ शादी से पहले कौंसलिंग, विरासत के शरई बँटवारे के सिलिसले में मदद, रहनुमाई और पारिवारिक विवाद की शरीअत के मुताबिक़ हल के सिलिसले में मदद व रहनुमाई की व्यवस्था हो।
- (4) इस मीक़ात में हर हलक़े की एक तिहाई जमाअतों में बच्चों के सर्किल क़ायम किए जाएँगे।
- (5) हर मक़ामी जमाअत यह कोशिश करेगी कि उसके मक़ाम पर कम-से-कम दस प्रतिशत मस्जिदें समाज में अपना हक़ीक़ी किरदार अंजाम देने लगें।
- (6) हलक़े में तहरीकी कार्यों के लिए उलमा को संगठित किया जाएगा।

प्रोग्राम

व्यक्ति के लिए

- (1) जमाअत से संबद्ध हर व्यक्ति 'क़व्वाम' (ज़िम्मेदार) होने की हैसियत से अपने घर को 'इस्लामी घर' बनाएगा और अपने घर-परिवारवालों को इस तरह तैयार करेगा कि वे मुल्क, मिल्लत (मुस्लिम समाज) और इस्लाम के लिए क़ुव्वत का ज़रिआ बन सकें।
- (2) हर रुक्न और कारकुन मिल्लत (मुस्लिम समाज) के 15 लोगों से गहरा रब्त रखकर इस्लाम की ख़ानदानी तालीमात से अच्छी तरह परिचित कराएगा और उनपर अमल कराने की मुमिकना (हर सम्भव) कोशिश करेगा।
- (3) हर व्यक्ति कोशिश करेगा कि अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम

और इन्तिज़ामिया के ज़िम्मेदारों से मज़बूत रब्त और ताल्लुक़ क़ायम हो और अवसर मिलने पर मस्जिद के मामलों में अपनी ख़िदमत भी पेश करेगा।

(4) अरकान (सदस्य) और कारकुनान (कार्यकर्ता) व्यक्तिगत स्तर पर नीचे लिखे तरीक़े और ज़रिए अपनाएगा—

व्यक्तिगत मुलाक़ात (One to one meeting), लिट्रेचर का बाँटना, मोबाइल, इंटरनेट, CD, वीडियो क्लिप्स, गेट-टूगेदर, मोबाइल लाइब्रेरी इत्यादि।

मक़ाम के लिए

- (1) हर मक़ामी जमाअत मुसलमानों में दीन के जामेअ (व्यापक) तसव्वुर को इस तरह आम करेगी कि अपने मक़ाम की 10% मुस्लिम आबादी अपने नस्बुल-ऐन (लक्ष्य) इक़ामते-दीन (दीन की स्थापना) और उसके तक़ाज़ों से वाक़िफ़ (परिचित) हो जाएँ।
- (2) हर मक़ामी जमाअत यह कोशिश करेगी कि वहाँ कम-से-कम 10% मस्जिदें समाज में अपना असली किरदार अदा करने लगें।
- (3) जमाअत की पॉलिसी और उसके तक़ाज़ों को पूरा करने के लिए हर मक़ाम नीचे लिखे तरीक़े और ज़रिए अपनाएगा—

लिट्रेचर का बाँटना, इज्तिमाई (सामूहिक) मुलाक़ातें, क़ुरआन और हदीस के दर्स, हफ़्तावारी और आम जगहों पर दर्स, लाइब्रेरी, ख़िताबे-आम (जन-सभाएँ) जुमे और ईद के ख़ुत्बे, कॉर्नर मीटिंग, मोबाइल लाइब्रेरी इत्यादि।

(4) मक़ामी जमाअतें / कारकुनों के हलक़े अपने मक़ाम के साथियों के हालात को सामने रखते हुए जमाअती वुफ़ूद (ग्रुप) बनाएँगे, जिनको शहर के दूर-दराज़ के मोहल्ले या आस-पास और ज़िले के दूसरे मक़ामों पर भेजा जाएगा। ये वुफ़ूद इज्तिमाई (सामूहिक) मुलाक़ातों

के ज़िरए मिल्लत में इस्लाम के हक़ीक़ी तसव्वुर को आम करने, मिल्लत की इस्लाह (सुधार) करने, तालीमी बेदारी (शिक्षा के प्रति जागरूकता) मिल्लत को दाई-ए-उम्मत बनाने, ग़ैर-मुस्लिम भाइयों में दीन की दावत पेश करने और अमलन सेवा कार्य भी अंजाम देने की कोशिश करेंगे।

- (5) आलिमों और मस्जिद के इमामों और प्रबन्धकों से ख़ास तौर से रब्त रखा जाएगा। मीक़ात में उनके कम-से-कम 4 प्रोग्राम रखे जाएँगे ताकि मस्जिदें मुसलमानों की हक़ीक़ी तालीम व तर्बियत का केन्द्र बन सकें।
- (6) मक़ाम कोशिश करेगा कि पिछड़ी बस्तियों में बुनियादी इस्लामी तालीमात आम हो जाएँ। ऐसे इलाक़ों में माहाना दीनी इज्तिमाओं के ज़रिए अक़ायद, इबादात और मामलात की तालीम दी जाएगी।
- (7) हर मक़ाम इस मीक़ात में कम-से-कम एक बार महिलाओं के लिए 'शरीआ कांफ्रेंस' का आयोजन करेगा।
- (8) मक़ामी जमाअत नीचे लिखे विषयों (Topics) के तहत हर साल अलग-अलग 'हफ़्ते' या 'दिवस' मनाने की कोशिश करेगी—
- (i) क़ुरआन (ii) सलात (नमाज़) (iii) सीरत व तारीख़े-इस्लाम (iv) निकाह को आसान करो (v) यौमे-इनफ़ाक़
- (9) हर मक़ामी जमाअत अपने मक़ाम पर दीनी मक्तबों के क़ायम करने को यक़ीनी बनाने की कोशिश करेगी।
- (10) हर मक़ाम 'इस्लाहे-मुआशरा' (समाज सुधार) के उनवान (Topic) से सालाना जन-सभा (आम इज्तिमा) का आयोजन करेगा, ताकि पश्चिमी सभ्यता (मग़रिबी कल्चर) से मरऊबियत (प्रभाव में आने), ज़िन्दगी के मक़सद से बेख़बरी और नई नस्ल की दीन से दूरी को रोका जा सके।

- (11) हर मक़ाम अपने स्तर पर मिल्लत में ज़कात के इज्तिमाई नज़्म का शुक्रर पैदा करने के लिए प्रोग्राम बनाएगा।
- (12) मिल्लत में मस्लकी शिद्दतपसन्दी (कट्टरता) को ख़त्म करने और मस्लकी एतिदाल पैदा करने (मस्लकों में बीच का रास्ता अपनाने) के लिए उलमा-ए-किराम, मस्जिद के इमामों और दूसरी अहम शख़िसयतों पर आधारित मीटिंगों और मुलाक़ातों का एहितमाम किया जाएगा।
- (13) हर मक़ाम अपनी सुविधा और अवसर के अनुसार सीरत और इस्लामी तारीख़ (इतिहास) पर अलग-अलग तरह के प्रोग्रामों का आयोजन करने की कोशिश करेगा।
- (14) मक़ामी जमाअतें हज पर जानेवाले लोगों के लिए तर्बियती कैम्पों का आयोजन करने की कोशिश करेंगी।
- (15) हर मक़ामी जमाअत कोशिश करेगी कि अपने मक़ाम पर 'मजलिसुल-उलमा-ए-तहरीके-इस्लामी, की शाख़ क़ायम हो जाए।

हलक़े के लिए

(1) हलक़े के नीचे लिखे मक़ामों पर ऐसे केन्द्र स्थापित किए जाएँगे जहाँ शादी से पहले कौंसिलिंग, विरासत के शरई बँटवारे के सिलसिले में मदद व रहनुमाई और ख़ानदानी झगड़ों के शरीअत के मुताबिक़ हल के सिलसिले में मदद व रहनुमाई का इन्तिजाम हो—

मीरा रोड, भिवण्डी, मानगाँव, पूना, मालेगाँव, जलगाँव, भुसावल, औरंगाबाद, ख़ुल्दाबाद, जालना, बीड़, प्रभनी, नान्देड़, अर्धापुर, लातूर, औदगीर, ख़ामगाँव, पीपलगाँव, राजा, अकोला, आकोट, अचलपुर, पोस्द, उमर खेड़ और नागपुर।

(2) हलक़े की बड़ी जमाअतों में दारुल-क़ज़ा / शरई पंचायत को क़ायम करने की कोशिश की जाएगी।

- (3) हलके की तरफ़ से मीक़ात में एक बार ज़िलई सतहों पर 'इस्लामी समाज' के उनवान पर एक दिन की जन-सभाएँ (इज्तिमाआत) आयोजित की जाएँगी।
- (4) मर्कज़ी मुहिम 'इत्तिहादे-उम्मत' हलक़े के स्तर पर भी मनाई जाएगी।
- (5) हज पर जानेवालों के लिए तर्बियती कैम्पों के बारे में प्रोग्राम बनाकर सभी यूनिटों को रवाना किया जाएगा।
- (6) हलके के स्तर पर अरबी मदरसे से फ़ारिग़ और मस्जिदों के इमामों के लिए मीक़ात में तीन दिवसीय दो कैम्प आयोजित किए जाएँगे। इसी तरह हलके के स्तर पर दीनी मदरसों से फ़ारिग़ लड़िकयों (महिलाओं) के लिए तीन दिवसीय दो कैम्प आयोजित किए जाएँगे।
- (7) मर्कज़ की सतह पर अरबी मदरसों से फ़ारिग़ और मस्जिदों के इमाम साहिबान के लिए आयोजित होनेवाले कैम्पों में हलक़ा माहराष्ट्र से उन्हें रवाना किया जाएगा।
- (8) अख़बारों में मज़ामीन (लेखों), टी॰वी॰ और रेडियो प्रसारणों के माध्यम से ख़ानदानी तालीमात को आम करने की कोशिश की जाएगी।
- (9) दीनी मक्तबों के निसाब और उसके मुकम्मल निज़ाम की तरतीब से सम्बन्धित एक कमेटी क़ायम की जाएगी।
- (10) 'मजिलसुल-उलमा-ए-तहरीके-इस्लामी, महाराष्ट्र' की तौसीअ (Expanssion) और इस्तेहकाम (Consolidation) की कोशिश की जाएगी।

उम्मत की सुरक्षा और विकास

पॉलिसी

जमाअत मुसलमानों के जान व माल की सुरक्षा, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा, नौजवानों पर होने वाले अत्याचार की रोक-थाम और उनकी दीनी और तहज़ीबी पहचान को बचाए रखने की कोशिश करेगी। जमाअत की यह भी कोशिश होगी कि इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार शैक्षणिक, आर्थिक व जन-स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मुसलमानों का विकास हो। इस ओर मुसलमानों को भी इज्तिमाई जिद्दोजुहद पर आमादा किया जाएगा।

पॉलिसी के तक़ाज़े

जमाअत कोशिश करेगी कि-

- 1. शिक्षा व्यवस्था पर पश्चिमी और फ़ॉसीवादी प्रभावों की रोक-थाम और उनके प्रभावों को दूर करने के उपाय अपनाए जाएँ।
- 2. मुसलमान अपनी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू पर होने वाले हमलों का दिफ़ाअ (प्रतिरक्षा) करने के लिए संविधान और शरीअत की हदों के अन्दर, तमाम ज़रूरी तदबीरें अपनाएँ और इस सिलसिले में देश के तमाम इनसाफ़पसन्द लोगों का सहयोग हासिल करें।
- 3. औक़ाफ़ की सुरक्षा और उनकी आमदनी के सही इस्तेमाल के सिलसिले में हुकूमत और मुतवल्ली (संरक्षक) अपनी ज़िम्मेदारियों

- की तरफ़ मुतवज्जेह हों।
- 4. सरकारी मशीनरी की ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाइयों के शिकार लोगों को क़ानूनी मदद पहुँचाई जाए। इसके साथ ही आम लोगों को उन क़ानूनी हक़ों से भी अवगत कराया जाए, जो उसूलन प्रत्येक नागरिक को हासिल हैं।

लक्ष्य (अहदाफ़)

- जमाअत मिल्लते-इस्लामिया के लोगों को आर्थिक दृष्टि से इस तरह मज़बूत करेगी कि प्रत्येक रुक्न एक ज़रूरतमन्द व्यक्ति को रोज़गार से लगा सके।
- जमाअत हर हलक़े की कम-से-कम 5 प्रतिशत मक़ामी जमाअतों में तालीम, सेहत और रोज़गार के सिलिसले में मदद व रहनुमाई के मर्कज़ क़ायम करेगी।
- 3. मिल्लते-इस्लामिया के अन्दर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 नए तालीमी इदारे क़ायम करेगी (प्राइमरी स्कूल, तालीमे-बालिग़ान व बालिग़ात के इदारे, ओपेन स्कूल, फ़ासलाती तालीम के केन्द्र आदि)।
- 4. जमाअत के अधीन चलनेवाले तालीमी इदारों की कम-से-कम 20 प्रतिशत तादाद को A ग्रेड के स्तर तक उत्क्रमित किया जाएगा।
- 5. जमाअत इस बात को सुनिश्चित करेगी कि सरकार की ओर से मुसलमानों के लिए चलाई जा रही रिफ़ाही (कल्याणकारी) स्कीमों के लिए ख़ास किए गए बजट का 100 प्रतिशत इस्तेमाल हो।

प्रोग्राम हर व्यक्ति के लिए

(1) हर व्यक्ति पश्चिमी और फ़ॉसीवादी संस्कृति के प्रभाव (वैलेंटाइन डे, सूर्य नमस्कार, वन्देमातरम् इत्यादि) से अपने-आपको और अपने

- घर-परिवार के लोगों को सुरक्षित रखेगा।
- (2) जमाअत से जुड़ा हर व्यक्ति हिफ़ाज़ती क़ानून और शरई तरीक़ों पर ख़ुद भी अमल करेगा और अपने परिवार के लोगों से भी अमल कराएगा।
- (3) जमाअत का हर व्यक्ति मूल नागरिक अधिकार, पुलिस और न्याय-व्यवस्था के बुनियादी क़ानूनों की जानकारी हासिल करेगा। (मसलन FIR, RTI और BAIL इत्यादि)
- (4) जमाअत का हर व्यक्ति अपनी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने की चिन्ता करेगा। मीक़ात के ख़त्म होने तक किसी अतिरिक्त (Additional) कोर्स को मुकम्मल करेगा। E-Learning का ख़ास तौर से एहतिमाम करेगा। इसी तरह ख़ानदान के लोगों को भी तवज्जोह दिलाएगा। हर साल एक विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित, रहनुमाई और सहायता करेगा।
- (5) हर रुक्न (सदस्य) मीक़ात में एक बेरोज़गार को रोज़गार से लगाएगा।
- (6) जमाअत का हर व्यक्ति स्वास्थ्य के इस्लामी सिद्धान्तों पर भरपूर अमल करेगा।

मक़ाम के लिए

- (1) मिल्लत (मुस्लिम समाज) की दीनी व तहज़ीबी (सांस्कृतिक) तशख़्बुस (पहचान) को बाक़ी रखने और उसकी अहमियत पर मक़ामी जमाअतें त्रैमासिक प्रोग्राम का एहतिमाम करेंगी। इस सिलिसले में शहर की मुश्तरका (संयुक्त) मिल्ली फ़ोरम से सहयोग हासिल किया जाएगा।
- (2) हलक़े की बड़ी जमाअतें अपने मक़ाम पर लीगल सेल क़ायम करेंगी

- और उसके ज़रिए मिल्ली एक्टिविस्ट (Milli Activist) तैयार करेंगी।
- (3) मक़ामी जमाअतें अपने मक़ाम के तालीमी इदारों को NCC के क़ियाम की तरफ़ तवज्जोह दिलाएगी और स्टूडेंट्स को उसमें दाख़िले के लिए प्रोत्साहित करेंगी।
- (4) हलक़े की बड़ी जामअतें विभिन्न तबक़ों के नुमाइन्दों को लेकर शहर में अमन कमेटी क़ायम करने की कोशिश करेंगी।
- (5) हर मक़ामी जमाअत अपने मक़ाम पर शोबए-तालीम (शिक्षा-विभाग) क़ायम करेगी और उसके लिए बैतुलमाल में एक हिस्सा ख़ास करेगी।
- (6) हर मक़ाम पर मीडिया, सिविल सर्विसेज़ और क़ानून में आला तालीम (उच्च शिक्षा) के लिए कम-से-कम एक विद्यार्थी को तवज्जोह दिलाई जाएगी और तालीम मुकम्मल होने तक ज़रूरी मदद (सहायता) की जाएगी और एक विद्यार्थी को आला दीनी इदारे (उच्च दीनी संस्था) जैसे जामिअतुल-फ़लाह वग़ैरा में दाख़िल करवाने की कोशिश की जाएगी। इस सिलिसले में उसकी मुकम्मल मदद की जाएगी।
- (7) मुस्लिम विद्यार्थियों के तालीमी मेयार (शिक्षा-स्तर) को बुलन्द करने के लिए तहरीकी और मुस्लिम तालीमी इदारों के अलावा मदरसों और मस्जिदों का इस्तेमाल इज़ाफ़ी तदरीसी रहनुमाई (Extra Teaching Guidance) के लिए किया जाएगा। (जैसे अंग्रेज़ी, गणित और दूसरे विषयों की कोचिंग)
- (8) हर मक्रामी जमाअत अपने मक्राम पर इत्तिहादे-मिल्लत (मुस्लिम-एकता) के मक़सद से एक मुश्तरका (संयुक्त) फ़ोरम बनाने की कोशिश करेगी।

हलके के लिए

(1) मिल्लत (मुस्लिम समाज) के दीनी और तहज़ीबी (सांस्कृतिक)

- तशख़्बुस (पहचान) के सिलसिले में उठनेवाले मसलों में सरकार से भरपूर नुमाइन्दगी की जाएगी।
- (2) हलक़े के स्तर पर Milli Activist की तर्बियत के लिए मीक़ात में 2 वर्कशापों का आयोजन किया जाएगा।
- (3) बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई के लिए APCR को मज़बूत और सरगर्म (Active) किया जाएगा।
- (4) सेक्यूलर शक्तियों (जैसे मराठा, दिलत, OBC वर्गों) से सहयोग और साझेदारी बढ़ाई जाएगी। संयुक्त और साझा (Common) मामलों में विशेष रूप से मिल्लत की सुरक्षा के सिलसिले में उनसे सहयोग लिया जाएगा।
- (5) हलक़े में क़ायम शोबए-तालीम (शिक्षा-विभाग) के ज़रिए शिक्षा से सम्बन्धित मसलों के हल, तालीमी तरक़्क़ी और अध्यापकों के प्रशिक्षण (Teachers Training) जैसे काम अंजाम दिए जाएँगे।
- (6) हलक़ा महाराष्ट्र की निम्निलखित मक़ामी जमाअतों में तालीम, सेहत (स्वास्थ्य) और रोज़गार के सिलिसले में मदद और रहनुमाई के केन्द्र खोले जाएँगे—

मुम्बई, पूना, नांदेड़, औरंगाबाद, आकोला और नागपुर।

मिल्लते-इस्लामिया (मुस्लिम समुदाय) के अन्दर तालीमी इर्तिक़ा (शिक्षा के विकास) के सिलिसले में हलक़ा महाराष्ट्र में 30 नए तालीमी इदारे (शिक्षा-संस्थान) खोले जाएँगे 14 तालीमे-बालिग़ान व बालिग़ात (प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र), ओपेन स्कूल, 5 पत्राचार शिक्षा केन्द्र और 10 मकतब।

(8) जमाअत के प्रत्यक्ष (Direct) प्रबन्ध में और उसके अन्तर्गत तालीमी इदारों (शिक्षा-संस्थाओं) की कम-से-कम 20% तादाद को ग्रेड A के स्तर तक तरक़्क़ी दी जाएगी। यह स्पष्ट है कि जमाअत के प्रत्यक्ष

- प्रबन्धवाले इदारों (संस्थाओं) को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (9) शिक्षा-संस्थाओं के निरीक्षकों की 50 सदस्यों पर आधारित टीम बनाई जाएगी जो तहरीकी और मिल्ली शिक्षा-संस्थाओं का निरीक्षण (मुआयना) करेगी।
- (10) शिक्षा-व्यवस्था पर फ़ॉसीवाद के प्रभाव को ख़त्म करने और पाठ्यक्रम में होनेवाली गड़बड़ियों को रोकने की कोशिश की जाएगी।
- (11) इस बात को यक्नीनी बनाया जाएगा कि सरकार की मुसलमानों के लिए सुधारात्मक और शैक्षिक स्कीमों के लिए आरक्षित बजट का शत-प्रतिशत इस्तेमाल हो। मुसलमानों में जागरूकता पैदा की जाएगी और सरकार से भरपूर नुमाइन्दगी की जाएगी।
- (12) मीक़ात में 2 वर्कशॉप के ज़रिए चयनित अध्यापकों को Career Councillors की हैसियत से ट्रेनिंग दी जाएगी।
- (13) शिक्षा-विभाग, मक़ामी जमाअतों को मीडिया, सिविल सर्विसेज़, क़ानून में उच्च शिक्षा में मदद और रहनुमाई करेगा।
- (14) शिक्षा के बजट में GDP का 6% आरक्षित करने की सरकार से भरपूर नुमाइन्दगी की जाएगी।
- (15) उम्मत की मुआशी तरक्क़ी (आर्थिक विकास) के लिए हलक़े की सतह पर एक बाक़ायदा विभाग क़ायम किया जाएगा।
- (16) हलक़े के स्तर पर सालाना Health Awareness Day मनाया जाएगा।
- (17) कोशिश की जाएगी कि मिल्लत की एकता के लिए हलक़े के स्तर पर क़ायम किसी एक मुश्तरका (संयुक्त) फ़ोरम को मज़बूत और सरगर्म (Active) किया जाए।
- (18) औक़ाफ़ की सुरक्षा और मज़बूती के लिए हलक़े के स्तर पर क़ायम 'औक़ाफ़ विभाग' को संगठित और मज़बूत बनाया जाएगा।

देश और दुनिया के मामले

पॉलिसी

(अ) जमाअत, इस्लामी तालीमात की रौशनी में अद्ल व इनसाफ़ को क़ायम करने, अम्न व शान्ति बनाए रखने और आम नैतिक मूल्यों के आधार पर देश के सर्वांगीण निर्माण एवं विकास के लिए कोशिश करेगी। जमाअत देश की राजनीति में उच्च मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने एवं कमज़ोर समुदायों को वंचित रखने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की कोशिश करेगी।

इसके अलावा जमाअत अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था और आक्रामक राष्ट्रवाद के चंगुल से देश को बचाने के लिए सभी ख़ैरपसन्द तत्वों का सहयोग हासिल करेगी।

(ब) आलमी (अन्तर्राष्ट्रीय) सतह पर जमाअत सियासी, मआशी और तहजीबी उपनिवेशवाद से आज़ादी, ज़ुल्म और ज़्यादती से नजात, मानवाधिकारों का सम्मान, अद्ल व इन्साफ़ और अम्ने-आलम (विश्व-शान्ति) के क़ियाम की ताईद करेगी। इस्लामी दुनिया में अवामी उमंगों की तर्जमान उन तहरीकों की जमाअत ताईद करेगी, जो इस्लामी ख़ुतूत पर समाज के निर्माण का काम कर रही हैं। जमाअत उनका समर्थन करेगी और उनपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलन्द करेगी। जमाअत इस्लामी दुनिया को

मसलकी व गरोही बिखराव और साम्राज्यवादी शक्तियों की साज़िशों से बचाने का भरसक प्रयास करेगी।

पॉलिसी के तक़ाज़े

(क) देश और दुनिया के मामले

- 1. जमाअत इस्लामी हिन्द इस बात की कोशिश करेगी कि देश के तमाम बाशिन्दे मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें, जिसका दारोमदार नैतिक मूल्यों पर हो, जहाँ अद्ल व इनसाफ़ आम हो और जहाँ अनुचित सामाजिक और आर्थिक भेदभाव मिट जाएँ। इसके लिए जमाअत इस्लामी रहनुमाई फ़राहम करेगी।
- 2. फ़िरक़ापरस्ती और फ़ॉसीवाद को रोकने के लिए जमाअत हर सतह पर भरपूर कोशिश करेगी। साथ ही जम्हूरी क़दरों (लोकतांत्रिक मूल्यों) को बढ़ावा देने के लिए और देश की मुख़्तलिफ़ तहज़ीबी इकाइयों के साथ अद्ल व इन्साफ़ के लिए आम राय तैयार करेगी और इस सिलसिले में क़ानून बनानेवाले इदारों के चुनावों में, सही ख़ुतूत पर असरअंदाज़ होने की कोशिश करेगी।
- उमाअत हिंसा और आतंकवाद के बढ़ते हुए रुझानों और सरकारी सतह पर हुक़ूक़े इनसानी (मानवाधिकारों) की पामाली की भरपूर निन्दा करेगी। आतंकवाद के वास्तविक कारणों को जानने और उनके ख़ात्मे की तरफ़ ध्यान देगी और देश के बाशिन्दों को भी उनके ख़ात्मे की तरफ़ ध्यान दिलाएगी कि वे अपने जाइज़ हक़ों को हासिल करने के लिए शान्तिपूर्ण जिद्दोजुहद करें।
- 4. जमाअत देश के संवेदनशील मामलों और विदेश नीति पर उपनिवेशवादी ताक़तों के बढ़ते हुए प्रभावों की मुख़ालिफ़त करेगी और आज़ाद और न्यायसंगत रवैया इख़्तियार करने की तरफ़ ध्यान दिलाएगी।

- जमाअत पर्यावरण-संकट पर क़ाबू पाने के लिए इस्लामी शिक्षाओं को हल के रूप में पेश करेगी।
- 6. जमाअत सरमायादाराना शोषण के ख़िलाफ़ अपनी जिद्दोजुहद जारी रखेगी और इस्लाम की न्यायसंगत अर्थव्यवस्था को एक मात्र विकल्प के रूप में पेश करेगी। इस्लामी शिक्षाओं की रौशनी में दुरुस्त आर्थिक पॉलिसियाँ प्रस्तावित करेगी और देश में आर्थिक इनसाफ़ की स्थापना के लिए राहें हमवार करेगी।
- 7. औरतों पर होने वाले अत्याचारों और भ्रूण-हत्याओं के ख़िलाफ़ जमाअत जनमत तैयार करेगी।

(ख) देश और दुनिया के मामले

- साम्राज्यवादी शिक्तयों की ओर से आज़ाद देशों पर दमनकारी कार्रवाई और वहाँ अपना वर्चस्व क़ायम करने की कोशिश, हक की माँग करने वाले अवाम पर ज़ुल्म व सितम और उनके ख़िलाफ़ जारी तशद्दद की भर्त्सना करेगी।
- जमाअत आज़ाद फ़िलस्तीनी रियासत का समर्थन जारी रखेगी, फ़िलस्तीन की मुकम्मल आज़ादी की ताईद करेगी और फ़िलस्तीनी अवाम पर जारी अत्याचारों की निन्दा करेगी।
- 3. मुस्लिम देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने, मानव-अधिकारों की सुरक्षा और समाज को इस्लामी उसूलों पर क़ायम करने के लिए जो तहरीकें काम कर रही हैं, जमाअत उनकी ताईद करेगी।
- 4. जमाअत देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगी और इस सच्चाई को वाजे़ह करेगी कि ख़ुदा का तसव्वुर, आख़िरत की जवाबदेही का एहसास और एहतिसाब के प्रभावशाली व्यवस्था के बिना इस मसले से नजात संभव नहीं।

देश और दुनिया के मामले

अहदाफ़ (लक्ष्य)

- जमाअत हलक़े में 100 प्रतिशत मुसलमान और 5 प्रतिशत ग़ैर-मुस्लिम पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को विभिन्न मामलों एवं मुद्दों के सिलसिले में इस्लामी मोक़िफ़ से अवगत कराएगी।
- 2. जमाअत इस्लामी बैंकिंग और इस्लामी मआशियात (अर्थव्यवस्था) के हक़ में पॉलिसी बनाने वाले इदारों में और अवामी सतह पर आम राय इस हद तक हमवार करेगी कि इसके नतीजे में इस्लामी बैंक क़ायम किए जा सकें, ग़ैर-सूदी खाते खोले जा सकें और इस्लामी मालियाती मुतबादिल Products राइज हो जाएँ।
- इस बात को यक्नीनी बनाया जाएगा कि मानवाधिकार की रक्षा और क़ानूनी मदद और रहनुमाई के लिए हर राज्य में एक इदारा क़ायम हो जाए।
- 4. देश के 50 (शहरी या ग्रामीण) जगहों को चुनकर वहाँ शराब और नशीले पदार्थों के सेवन को पूरी तरह से रोकने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
- 5. देश में 10 बस्तियों का चयन करके उन्हें मिसाली बस्ती बनाया जाएगा, जिसका तफ़सीली ख़ाका मर्कज़ उपलब्ध कराएगा।

प्रोग्राम

व्यक्ति के लिए

- (1) जमाअत का हर व्यक्ति फ़िरक़ापरस्ती (साम्प्रदायिकता) और फ़ॉसीवादी रुझान और जात-पात की मुख़ालिफ़त (विरोध) करेगा।
- (2) जमाअत का हर व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम

- नौजवानों को आतंकवाद से जोड़ने की समाज-विरोधी तत्वों की ओर से की जानेवाली साज़िशों से अपने घर, ख़ानदान और समाज को परिचित कराने और सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा।
- (3) विदेशी चीज़ों के इस्तेमाल से जितना सम्भव हो बचने की कोशिश करेगा और ग़ैर-सूदी (Interest Free Society) का सदस्य बनेगा।
- (4) जमाअत का हर व्यक्ति हर साल कम-से-कम एक पेड़ लगाकर उसको सींचेगा और उसकी निगरानी करेगा और एक पौधा किसी को गिफ्ट करेगा।
- (5) बिजली, पानी और प्राकृतिक संसाधनों के सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने और उन्हें नष्ट होने से बचाने की कोशिश करेगा। इस सिलिसले में रौशनी के लिए CFL LED का इस्तेमाल करेगा और Solar Energy को रिवाज देगा।
- (6) अपने काम रिश्वत दिए बग़ैर कराने की भरपूर कोशिश करेगा और दहेज व हंडा का विरोध करेगा।
- (7) अपने और बस्ती के बच्चों को नशा, जुआ और दूसरी नैतिक बुराइयों से बचाने की मुख़लिसाना (निस्वार्थपूर्ण) कोशिश करेगा।

मक़ाम के लिए

- (1) हर मक़ामी जमाअत शत-प्रतिशत मुसलमान और 5% ग़ैर-मुस्लिम पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को मुख़्तिलिफ़ मामलों और मसलों के सिलिसले में इस्लामी पक्ष से परिचित कराएग।
- (2) पुर-अम्न और शान्तिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए हर मक़ामी जमाअत कोशिश करेगी कि मक़ामी स्तर पर 'सदभावना मंच' की तरह के मुश्तरका (संयुक्त) फ़ोरम क़ायम हों। फ़िरक़ापरस्ती (साम्प्रदायिकता) और फ़ॉसीवाद विरोधी प्रोग्राम आयोजित किए

- जाएँगे और बड़े शहरों में हिस्ट्री सेमिनार के आयोजन की कोशिश की जाएगी।
- (3) मक़ामी जमाअतें छूत-छात, नशा, जुआ, सट्टा, LGBT, Live in relationship जैसी बुराइयों के ख़ातिमे के लिए अपनी सुविधानुसार प्रोग्राम आयोजित करेंगी। इस सम्बन्ध में विभिन्न NGO's से सहयोग भी किया जाएगा।
- (4) हर मक़ामी जमाअत अपने तौर पर और बलदियाती (नगर पालिका और पंचायतीराज) संस्थाओं की मदद से पौधारोपण और निगरानी करेगी।
- (5) मक़ामी जमाअतें बिजली, पानी और प्राकृतिक संसाधनों के सावधानीपूर्वक इस्तेमाल, उन्हें बरबाद होने से बचाने के लिए विभिन्न प्रोग्रामों का आयोजन करेंगी और अपने कार्यालयों और संस्थाओं में रौशनी के लिए CFL LED का इस्तेमाल करेंगी और समाज को भी इस तरफ़ तवज्जोह दिलाएँगी और Solar Energy के इस्तेमाल को रिवाज देंगी।
- (6) मक़ामी जमाअतें हर साल 'महिला दिवस' मनाएँगी। इस बारे में पहले साल 'घरेलू झगड़े', दूसरे साल 'अश्लीलता और फ़ैशनपरस्ती', तीसरे साल 'दहेज और हंडा' और चौथे साल 'कन्या-हत्या' को रोकने के सिलसिले में विभिन्न प्रोग्राम रखने की कोशिश की जाएगी।
- (7) बड़ी जमाअतें महिलाओं पर अत्याचार को रोकने और शादी के बाद के मसलों के हल के लिए काउंसिलिंग सेंटर क़ायम करेंगी।
- (8) जहाँ सम्भव हो, वहाँ एक ग़ैर-मुस्लिम किसान को क़र्ज़ से नजात दिलाने की कोशिश की जाएगी।
- (9) जहाँ सम्भव हो, वहाँ बिला-सूदी सोसाइटी क़ायम करने की कोशिश

- की जाएगी और समाज को सूद के नुक़सानों से बचाने के लिए सुविधानुसार प्रोग्राम रखे जाएँगे।
- (10) जहाँ सम्भव हो वहाँ सरकारी और अर्द्ध सरकारी विभागों में रिश्वतख़ोरों के ख़िलाफ़ नैतिक और क़ानूनी कार्यवाही की कोशिश की जाएगी और भ्रष्टाचार विरोधी प्रोग्राम आयोजित किए जाएँगे।
- (11) हर मक़ामी जमाअत पुलिस और व्यवस्थापिका से सम्बन्ध बनाए रखने की कोशिश करेगी।
- (12) हर जमाअत हर साल 15 मई को 'यौमे-नकबा' (इसराईल विरोधी दिवस) मनाया जाएगा।

हलक़े के लिए

- (1) हलक़े में क़ायम 'मीडिया विभाग' को मज़बूत और पायदार बनाया जाएगा और उसके ज़िरए शत-प्रतिशत मुसलमान और 5% ग़ैर-मुस्लिम पत्रकारों और दानिश्वरों (बुद्धिजीवियों) को विभिन्न मामलों और मसलों के सिलिसले में इस्लामी पक्ष से परिचित कराया जाएगा।
- (2) हलक़े में क़ायम 'देश और दुनिया के मामले' विभाग से जुड़े लोग राजनीतिज्ञों, सरकारी लोगों (जिनमें अफ़सरशाह, पुलिस आदि के लोग भी शामिल हैं) और विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और NGO's से बराबर और बामक़सद सम्बन्ध रखेंगे।
- (3) नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने, न्याय और इनसाफ़ को क़ायम करने और समाजी व आर्थिक भेदभाव को ख़त्म करने के लिए काम करनेवाली NGO's का चयन किया जाएगा और उनका सहयोग किया जाएगा।
- (4) फ़िरक़ापरस्ती (साम्प्रदायिकता) और फ़ॉसीवाद की रोकथाम के सिलसिले में प्रदेश में क़ायम FDCA को मज़बूत बनाया जाएगा और

ज़िलई मक़ामों पर उसकी शाखाएँ क़ायम की जाएँगी। इसके तहत मीक़ात के पहले साल हिस्ट्री सेमिनार आयोजित किया जाएगा।

- (5) हलक़े के स्तर पर 'धार्मिक जन-मोर्चा' क़ायम किया जाएगा।
- (6) नागरिक अधिकारों की रक्षा और क़ानूनी मदद और रहनुमाई के लिए हलक़े में क़ायम लीगल सेल को मज़बूत किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हलक़े के निम्नलिखित 15 शहरों में इसकी शाख़ें क़ायम हो जाएँ—

मुम्बई, मुम्बरा, कल्याण, पूना, शोलापुर, मालेगाँव, जलगाँव, औरंगाबाद, जालना, बीड़, नांदेड़, लातूर, पोस्ट, उमर खेड़ और नागपुर।

- (7) हलक़े के निम्नलिखित मक़ामों पर शराब और नशा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी— बारसी टाकली, पीपलगाँव राजा, जानौरी फ़ैज़पुर, चकलवरधा, फ़रदापुर।
- (8) हलक़े के निम्न 4 मक़ामों पर शराब और नशावर चीज़ों को छोड़ने और इन मक़ामात को मिसाली बस्तियाँ बनाने की कोशिश की जाएगी—
 - जानौरी, पीपल गाँव राजा, बारसी टाकली और हथरोन।
- (9) जमाअत, इस्लामी बैंकिंग और इस्लामी मआशियात (अर्थव्यवस्था) के हक़ में पॉलिसी बनानेवाली संस्थाओं में और जनता की सतह पर जनमत को इस हद तक तैयार करेगी कि उसके नतीजे में इस्लामी बैंक क़ायम किए जा सकें, ग़ैर-सूदी खाते खोले जा सकें और इस्लामी मालियाती मुतबादिल Products का रिवाज हो सके। इस सिलिसले में हलक़ा महाराष्ट्र में क़ायम 'माइक्रो फ़ाइनांस विभाग' को फैलाया और मज़बूत किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हलक़ा महाराष्ट्र में मीक़ात के ख़त्म होने तक कम-से-कम

50 मक़ामों पर बाक़ायदा माइक्रो फ़ाइनांस / बिला सूदी सोसाइटीज़ क़ायम हो जाएँ।

हलक़े के बड़े शहरों में इस्लामी बैंकिंग पर लेक्चर्स कराए जाएँगे।

- (10) भ्रष्टाचार की रोकथाम के सिलसिले में RTIActivist तैयार करने की कोशिश की जाएगी।
- (11) स्मार्ट शहरों की विकास स्कीमों के बारे में पता लगाया जाएगा। अगर इसमें जनता के विकास के बजाए कारपोरेट विकास के रुझान पाए गए तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी।
- (12) SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के सहयोग से सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा।
- (13) अन्य NGO's के सहयोग से किसानों की समस्याएँ हल करने और उन्हें ब्याज से नजात दिलाने की भरपूर कोशिश की जाएगी।
- (14) जमाअत की इलेक्शन पॉलिसी के तहत जहाँ सम्भव होगा, वहाँ इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा।
- (15) ग्रामसभा और पंचायतराज के सम्बन्ध में जमाअत से जुड़े लोगों और समाज के चुनिन्दा लोगों को अवगत कराया जाएगा। एक्टिवज़्म के द्वारा सरकारी कारगर्दगी में पारदर्शिता (शफ़्फ़ाफ़ियत) लाने की कोशिश की जाएगी।
- (16) हर साल हलक़े के स्तर पर 'महिला दिवस' मनाया जाएगा।
- (17) हर साल 5 जून को पूरे राज्य में 'पर्यावरण दिवस' मनाया जाएगा। पौधारोपण किया जाएगा। इससे सम्बन्धित NGO's के साथ सहयोग भी किया जाएगा।
- (18) देश के संवेदनशील मामलों और विदेश नीतियों पर साम्राज्यवादी ताक़तों के बढ़ते प्रभाव का विरोध किया जाएगा और स्वतन्त्र न्यायपूर्ण रवैया अपनाने की तरफ़ तवज्जोह दिलाई जाएगी। इस

- सिलसिले में हर साल अन्य NGO's के साथ मिलकर सेमिनार आयोजित किया जाएगा।
- (19) आज़ाद फ़िलस्तीनी स्टेट का समर्थन किया जाएगा और उसकी मुकम्मल आज़ादी और फ़िलस्तीनी जनता पर हो रहे अत्याचार के ख़िलाफ़ सुविधानुसार विभिन्न प्रोग्राम आयोजित किए जाएँगे।
- (20) मुस्लिम देशों में लोकतान्त्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने, मानवाधिकारों की सुरक्षा और समाज को इस्लामी उसूलों पर क़ायम करने के लिए जो तहरीकें सिक्रिय (सरगर्म) हैं उनकी ताईद (समर्थन) के सिलिसले में विभिन्न प्रोग्राम आयोजित किए जाएँगे और मुस्लिम देशों के कौंसिलखानों से सम्बन्ध रखा जाएगा।
- (21) हलके के स्तर पर FDCA को मज़बूत किया जाएगा और सक्रिय (सरगर्म) रखा जाएगा।

ख़िदमते-ख़ल्क़ (जन-सेवा)

पॉलिसी

जमाअत ग्रीबी, बीमारी, जिहालत (अशिक्षा) और भुखमरी को दूर करने के लिए हर मुमिकन कोशिश करेगी। मरीज़ों, लाचारों, ज़रूरतमन्दों, यतीमों और बेवाओं को सहारा देगी और मुसीबतज़दा लोगों व मज़्लूमों को धर्म और समुदाय का भेदभाव किए बग़ैर अपनी ताक़त भर मदद पहुँचाने और उनके पुनर्वास का एहितमाम करेगी और मुसलमानों को भी इस काम के लिए आमादा करेगी। कोशिश की जाएगी कि इन सामूहिक प्रयासों के अलावा इन्फ़िरादी तौर पर भी जमाअत से जुड़े लोगों और मिल्लत के लोगों और आम इनसानों में ख़िदमते-ख़ल्क़ (जन-सेवा) का जज़्बा तरक़्क़ी पाए और सरकारी संसाधनों को भी इस मक़सद के लिए इस्तेमाल किया जाए। जन-सेवाओं के काम में लगी अन्य संस्थाओं एवं संगठनों से अपने उसूलों के तहत सहयोग एवं समर्थन किया जाएगा।

पॉलिसी के तकाज़े

 ज़मीनी और आसमानी आफ़तों, महामारी (वबाई अमराज़) और दंगे-फ़सादों से मुतास्सिर लोगों की आबादकारी, माली, तिब्बी (इलाज से सम्बन्धित) और क़ानूनी मदद के लिए जमाअत अपनी कोशिशें मज़हब और मिल्लत का भेदभाव किए बग़ैर जारी रखेगी। 2. जमाअत से जुड़े लोग अपनी और दूसरी ग़रीब बस्तियों के मक़ामी मसाइल को हल करने और वहाँ के अवाम को ज़िन्दगी की बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें फ़राहम करने के लिए कोशिश करते रहेंगे।

अहदाफ़ (लक्ष्य)

जमाअत ख़ैरपसन्द अफ़राद, इदारों और लोकल बॉडीज़ के सहयोग से ख़िदमते-ख़ल्क़ का काम इस दर्जे तक करेगी कि हर तंज़ीमी हलक़े की 25 प्रतिशत शाख़ों में कम-से-कम एक पिछड़े मुहल्ले में तालीम, प्राइमरी हेल्थ, सफ़ाई और माइक्रो फ़ाइनांस, ब्याजरहित क़र्ज़े उपलब्ध कराने से मुताल्लिक़ सहूलतें मुहैया हो जाएँ।

प्रोग्राम

व्यक्ति के लिए

(1) जमाअत से जुड़ा हर व्यक्ति मरीज़ों, मोहताजों, ज़रूरतमन्दों, यतीमों और विधवाओं को सहारा देने और मुसीबत के मारे लोगों और मज़लूमों को बिना किसी धर्म और समुदाय के भेदभाव के अपनी ताक़तभर मदद पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेगा।

मक़ाम के लिए

- (1) मकामी जमाअतें अपने मक़ाम पर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, रोज़गार दिलाने, मुस्तिहिक्क़ीन की मदद, क़ानूनी मदद वग़ैरा जैसे जन-सेवा के काम अंजाम देंगी।
- (2) बड़े शहरों में रोज़गार दिलाने के सिलिसले में जॉब चेम्बर्स क़ायम करने की कोशिश की जाएगी और रोज़गार दिलाने से सम्बन्धित वर्कशॉप भी आयोजित की जाएँगी।
- (3) हर मक़ामी जमाअत अपनी ताक़तभर कोशिश करेगी कि ज़रूरतमन्द और मुस्तहिक़ ख़ानदानों को माहाना राशन उपलब्ध हो जाए।

- (4) जिन दवाख़ानों में मेडिकल सुविधाएँ कम होंगी, वहाँ जमाअत की तरफ़ से नुमाइन्दगी करके सुविधाएँ जुटाने की कोशिश की जाएगी।
- (5) जहाँ सम्भव हो वहाँ ग़रीबों की सुविधा के लिए चेरिटेबल डिस्पेंसरी क़ायम की जाएँगी।
- (6) मक़ामी जमाअतें अपने स्तर पर घातक रोगों की रोकथाम के सम्बन्ध में कम-से-कम 4 मेडिकल कैम्प लगाएँगी।
- (7) मक़ामी जमाअतें स्वास्थ्य रक्षा से सम्बन्धित विभिन्न दिवस मनाएँगी (जैसे टीबी दिवस 24 मार्च, डायबिटीज़ दिवस 14 नवम्बर आदि।)
- (8) ज़िला मुख्यालय (Distt. Head Quarters) पर लाज़िमी तौर पर ब्लड् डोनर फ़ोरम क़ायम करने की कोशिश की जाएगी।
- (9) जहाँ सम्भव हो वहाँ MSS की शाख़ें क़ायम की जाएँगी। जहाँ क़ायम हैं उन्हें मज़बूत किया जाएगा।
- (10) मक़ामी जमाअतें अपने सालाना बजट में ख़िदमते-ख़ल्क़ (जन-सेवा) के तहत कम-से-कम 20% रक़म निर्धारित करेगी।

हलक़े के लिए

(1) हलके की निम्न मक़ामी जमाअतें ख़ैरपसन्द लोगों, संस्थाओं और लोकल बॉडीज़ के सहयोग से ख़िदमते-ख़ल्क़ का काम इस हद तक करेंगी कि एक पिछड़े मोहल्ले में तालीम, प्राइमरी हेल्थ (प्राथमिक स्वास्थ्य) सफ़ाई और माइक्रो फ़ाइनांस, बिला-सूदी क़र्ज़े की फ़राहमी से सम्बन्धित सुविधाएँ मिल सकें—

चीता कैम्प, मालोनी कॉलोनी, मीरा रोड, मुम्बरा, भिवण्डी, पूना, मालेगाँव, जलगाँव, जानोरी, अहमद नगर, औरंगाबाद, जालना, बीड़, अम्बा जोगाई, परभनी, नान्देड़, लातूर, उस्मानाबाद, नान्दवरा, आकोला, बारसी टाकली, उमर खेड़, पोस्द, नागपुर पूर्व, और बिलारपुर।

- (2) निम्न 10 मक़ामात पर बिला-सूदी सोसाइटीज़ क़ायम की जाएँगी— मुम्बई, पूना, बीड़, परभनी, नान्देड़, जलगाँव, बुलडाना, आकोला, पोस्द और नागपुर।
- (3) सरकारी व अर्द्धसरकारी स्कीमों की जानकारी कराने और उनसे फ़ायदा उठाने के सिलसिले में मीक़ात में एक बार इलाक़ाई स्तर पर जमाअत से जुड़े लोगों का एक दिवसीय वर्कशॉप आयोजित किया जाएगा।
- (4) किसी एक शहर की पिछड़ी बस्ती को चुनकर वहाँ से मुआशी (आर्थिक) पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिश की जाएगी।
- (5) आदिवासी इलाक़े के लिए एक मेडिकल वैन का इन्तिज़ाम किया जाएगा।
- (6) हर साल मक़ामी जमाअतों के तहत 40 मकान बनवाने, मरम्मरत कराने के लिए ग़रीब और मुस्तिहक़ लोगों की माली मदद की जाएगी। कोशिश की जाएगी कि इस सिलिसले में सरकारी स्कीमों से भी फ़ायदा उठवाया जाए।
- (7) निम्न मक़ामों पर चेरिटेबल डिस्पेंसरी क़ायम करने की कोशिश की जाएगी—
 - मालोनी कॉलोनी, मीरा रोड, मुम्बरा, मालेगाँव, अहमद नगर, जलगाँव, फ़ैजपुर, सलोड़, जालना, रंजनी, भूकरदन, बीड़, पाथरी, हिंगोली, अर्धापुर, लातूर, औदगीर, उस्मानाबाद, नान्दवरा, आकोला, आकोट, पोस्द, उमर खेड़, अयोत महल, नागपुर पूर्व और बिलारपूर।
- (8) पूना, औरंगाबाद और नागपुर में क़ायम मेडिकल गाइडेंस सेंटर को मज़बूत किया जाएगा। इसके अलावा नान्देड़ और आकोला में मेडिकल गाइडेंस सेंटर्स क़ायम किए जाएँगे।
- (9) उस्मानाबाद में एक मेटरनिटी हॉस्पिटल क़ायम करने की कोशिश की

जाएगी।

- (10) पूना और नागपुर में Food Bank क़ायम करने की कोशिश की जाएगी।
- (11) मुम्बई और नागपुर में Generic Drug Bank क़ायम करने की कोशिश की जाएगी।
- (12) बांद्रा (मुम्बई) और औरंगाबाद में Dialysis Centre क़ायम किए जाएँगे।
- (13) IRW के वालंटियर्स को और तर्बियत (प्रशिक्षण) दी जाएगी और ज़िलई स्तर पर RDMC से जोड़ा जाएगा। इस बात को भी यक़ीनी बनाया जाएगा कि वालंटियर्स मक़ामी सतह पर पेश आनेवाले हादसों के मौक़े पर रिलीफ़ का काम बेहतर तौर पर कर सकें।
- (14) प्रदेश में नशावर चीज़ों में बढ़ोत्तरी को सामने रखते हुए इनकी गन्दिगयों और उनके बुरे प्रभाव से समाज को और ख़ास तौर से नौजवानों को बचाने के लिए हलक़े के स्तर पर एक सप्ताह भर का अभियान चलाया जाएगा।
- (15) बेजा इल्ज़ामात में गिरफ़्तार नौजवानों के ख़ानदानों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी।

तज़िकया व तर्बियत

पॉलिसी

जमाअत अपने अरकान और कारकुनान (सदस्यों और कार्यकर्ताओं) के हमाजेहत (चहुँमुखी) तज़िकया व तिर्बियत का एहितमाम इस तरह करेगी कि अल्लाह तआला से उनका ताल्लुक़ ज़्यादा-से-ज़्यादा मज़बूत हो, उनके अन्दर आख़िरत की फ़िक्र और रसूल (सल्ल॰) की मुहब्बत और फ़रमाँबरदारी का जज़्बा मज़बूत हो, उनकी ज़िन्दिगयों में अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिक्रयता एवं जोश पैदा हो, अपनी कोताहियों और कमज़ोरियों पर क़ाबू पाएँ, मैदाने-अमल से जुड़ें, अपने माहौल और समाज में उनकी भूमिका इक़दामी हो और विभिन्न क्षेत्रों में अपने अन्दर उच्चतम दर्जे की सलाहियत पैदा करें।

पॉलिसी के तकाज़े

आख़िरत में अल्लाह तआला के सामने जवाबदेही के यक़ीन, उसकी ख़ुशनूदी को हासिल करने की फ़िक्र और रसूल (सल्ल॰) से मुहब्बत और आपकी पैरवी के जज़्बे के तहत अपनी निजी इस्लाह व तर्बियत जमाअत के हर फ़र्द की सबसे पहली ज़िम्मेदारी होगी। इस ग़रज़ के लिए वह नीचे दी गई बातों का एहतिमाम करेगा—

 फ़र्ज़ व वाजिब इबादतों के ज़ाहिरी आदाब और बातिनी ख़ूबियों के साथ अदायगी।

- अल्लाह की किताब (क़ुरआन) की तिलावत और उसको समझना।
- हदीसे-पाक, नबी (सल्ल॰) की सीरते-पाक (नबी सल्ल॰ की पवित्र जीवनी), सहाबा व सहाबियात (रिज़॰) की सीरत और दीनी व तहरीकी लिट्रेचर का अध्ययन।
- मसनून अज़कार का एहतिमाम।
- नफ़्ल नमाज़ों ख़ासकर तहज्जुद और नफ़्ल रोज़ों का ताक़त भर एहतिमाम।
- अल्लाह के रास्ते में खर्च करना।
- अल्लाह के हुक्मों की पूरी पाबन्दी और मना की गई बातों से पूरी तरह बचना।
- रोज़मर्रा की सरगर्मियों और कामों का जाइज़ा और तौबा व इस्तिग़फ़ार।
- अल्लाह से ताल्लुक़ की मज़बूती और इख़लास और ख़ुशनूदी हासिल करने की तलब, ख़ौफ़, डर, सब्र और शुक्र, अल्लाह से मुहब्बत और उसपर भरोसा, और तौबा व अल्लाह की तरफ़ झुकाव की कैफ़ियतों का जाइजा।
- अपने अख़लाक़ (आचरण) व मामलों की इस्लाह और दुरुस्तगी।
- अपने घरवालों की इस्लाह व तर्बियत (सुधार व प्रशिक्षण) और इस ग़रज़ के लिए घरेलू इज्तिमाआत का एहतिमाम।
- पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक और उनके हक़ों की अदायगी का एहतिमाम।
- दीन (धर्म) की राह में ईसार व क़ुरबानी (त्याग) और जमाअत के नज़्म (अनुशासन) की पाबन्दी।
- तनक़ीद (आलोचना) में एहतियात, हुदूद का पास व लिहाज, ज़बान पर क़ाबू, दिलसोज़ी व शफ़क़त के साथ अच्छी बात कहना व नसीहत करना, एक-दूसरे को हक़ की नसीहत करना, सब्र की नसीहत करना

और एक-दूसरे को रहम और नरमी की नसीहत करना।

- इन्फ़िरादी और इज्तिमाई तमाम हालतों व मामलों में तक्कवा (परहेज़गारी) और एहसान का रवैया अपनाना, दिखावा और घमंड से बचना, इख़्लास और अल्लाह ही के लिए काम करने का जज़्बा। अपनी सलाहियतों का शुऊर और उनकी तरक़्क़ी की कोशिश।
- अपने समाज और माहौल से ख़ैरख़ाहाना ताल्लुक़, भलाई को क़ायम करने और बुराई को दूर करने के लिए इक़दामी भूमिका।

तज़्किया और तर्बियत

अहदाफ़ (लक्ष्य)

जमाअत का प्रत्येक रुक्न और कारकुन इस मीक़ात में निम्नलिखित लक्ष्य हासिल करेगा।

- (अ) क़ुरआन मजीद की किसी एक तफ़्सीर का मुकम्मल मुताला (अध्ययन)।
- (ब) कोई एक नई सलाहियत पैदा करना (मसलन ख़िताबत, तहरीर, तजवीद, भाषा ज्ञान, कम्पयूटर, कौंसिलिंग आदि)।
- (ज) अपने घर के माहौल को ख़ुशगवार और इस्लामी तालीमात के मुताबिक़ बनाना।

प्रोग्राम

व्यक्ति के लिए

- (1) जमाअत का हर रुक्न (सदस्य) और कारकुन (कार्यकर्ता) इस मीक़ात में निम्न अहदाफ़ (लक्ष्य) हासिल करेगा—
- (a) क़ुरआन मजीद की किसी एक तफ़सीर (व्याख्या/टीका) का मुकम्मल मुताला (अध्ययन)।

- (b) कोई एक नई सलाहियत (योग्यता) अपने अन्दर पैदा करना (जैसे भाषण देना, लेख लिखना, तजवीद (क़ुरआन पढ़ने के उसूल), भाषा सीखना, कम्प्यूटर, कौंसिलिंग वग़ैरा)
- (c) अपने घर के माहौल को ख़ुशगवार और इस्लामी तालीमात के मुताबिक़ बनाना।
- (d) रोजाना नाज़रा क़ुरआन पढ़ना, कम-से-कम एक साल में पूरे क़ुरआन की तिलावत।
- (2) जमाअत का हर व्यक्ति हदीस, तारीख़ व सीरत और इस्लामी व तहरीकी लिट्रेचर के मुताले की कोशिश करेगा।
- (3) जमाअत का हर व्यक्ति क़ुरआनी अरबी सीखने की कोशिश करेगा।
- (4) जमाअत का हर व्यक्ति अमीरे-मक़ामी की निगरानी में अपने तज़िकए का मंसूबा तैयार करेगा और उसपर अमल की माहाना रिपोर्ट भी देगा।
- (5) जामअत का हर व्यक्ति अपनी सलाहियतों को पहचान कर उसे परवान चढ़ाने पर ख़ास तवज्जोह देगा।
- (6) जमाअत का हर व्यक्ति अपने घर में कम-से-कम हफ़्ते में एक बार लाजिमी तौर पर फ़ैमिली इज्तिमा करेगा।

मक़ाम के लिए

(1) मक़ामी जमाअतें अपने लोगों (मर्द-औरत) के तज़िकए के लिए माहाना तर्बियती इज्तिमा ज़रूर करेंगे और हर दो माह के वक़्फ़े (अन्तराल) से मर्दों के लिए शब-बेदारी का प्रोग्राम किया जाएगा, जो मग़रिब से फ़ज़ तक चलेगा और कभी-कभी क़ब्रिस्तान की ज़ियारत (Visit) पर ख़त्म किया जाएगा।

- (2) हर मक़ामी जमाअत तीन माह में एक बार जमाअत से वाबस्ता (जुड़े) लोगों के लिए तज़िकया कैम्प लगाएगी जिसका मर्कज़ी मौज़ू (केन्द्रीय विषय) ततहीरे-क़ल्ब (हृदय की शुद्धता) होगा।
- (3) मक़ामी जमाअतें साल में एक बार किसी खुले और ख़ुशगवार मक़ाम पर फ़ैमिली कैम्प लगाने की कोशिश करेंगी।
- (4) हर मक़ाम पर उसरा का निज़ाम क़ायम करने की कोशिश की जाएगी। उसरा के निज़ाम का ख़ाका हलक़ा बनाकर देगा।
- (5) हर मक़ामी जमाअत अपने मक़ाम पर क़ुरआन को समझने के लिए क्लास लगाने की कोशिश करेगी।
- (6) "आइए अपने ख़ानदान के माहौल को ख़ुशगवार बनाएँ" इस विषय पर साल में एक बार मक़ामी सतह पर एक दिन का वर्कशॉप लगाया जाएगा। इसका ख़ाका हलक़ा बनाकर देगा।

हलक़े के लिए

- (1) जामे तर्बियत (व्यापक और सारगर्भित प्रशिक्षण) ख़ास तौर से सलाहियतों (योग्यताओं) को परखने, परवान चढ़ाने के लिए हलक़े/इलाक़ाई सतह पर तर्बियतगाह शुरू की जाएगी। ये तर्बियतगाहें, मुम्बरा, मालेगाँव, जालना और नागपुर में क़ायम की जाएँगी।
- (2) मक़ामी, ज़िलई और हलक़े की सतह के ज़िम्मेदारों के तज़िकए के सिलिसले में हर साल तज़िकया कैम्प का एहितमाम किया जाएगा जिसमें ख़ास तौर से ततहीरे-क़ल्ब (हृदय की शुद्धता) पर तवज्जोह मरकूज़ (केन्द्रित) की जाएगी।
- (3) मक़ामी, ज़िलई और हलक़े की सतह के ज़िम्मेदार लोगों से तर्बियत के मक़सद से इनफ़िरादी (व्यक्तिगत) ताल्लुक़ और एहतिसाब और जाइज़े का इन्तिज़ाम किया जाएगा।

- (4) जमाअत के साथियों की सलाहियतों को परवान चढ़ाने और हलक़े की मुख़्तिलिफ़ ज़रूरतों को पूरा करने के मक़सद को सामने रखते हुए मतलूबा लोगों की तैयारी के लिए क़ायम किए गए शोबे (विभाग) HRD को मज़बूत किया जाएगा।
- (5) जमाअत से वाबस्ता लोगों में क़ुरआन को समझने के सिलसिले में हलक़े की सतह पर औरंगाबाद में एक माही 'क़ुरआन फ़हमी स्कूल' आयोजित किया जाएगा।

तंज़ीम (संगठन)

पॉलिसी

जमाअत अपनी तंज़ीम पर इस तरह ध्यान देगी कि उसका इज्तिमाई माहौल आपसी विचार-विमर्श, मारूफ़ यानी भले कामों में अमीर की पैरवी और इज़हारे-ख़्याल के इस्लामी आदाब का आईनादार हो। तंज़ीम के फैलाव और इस्तेहकाम का काम इस तरह किया जायेगा कि जमाअत से जुड़े तमाम लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ भली-भाँति अंजाम दें। जमाअत का तंज़ीमी ढाँचा तहरीक के उद्देश्यों को पूरा करे और बेहतर मंसूबाबन्दी, प्रभावशाली ढंग से उसे लागू करने, बेलाग जाइज़ा व एहतिसाब का एहतिमाम इस तरह हो कि जमाअत का अन्दरूनी माहौल बाहमी हमदर्दी का प्रतीक और जमाअत से जुड़े लोगों की इज्तिमाई कैफ़ियत सीसा पिलाई हुई दीवार के समान हो।

पॉलिसी के तकाज़े

जमाअत की कोशिश होगी कि-

- तहरीक से वाबस्ता लोगों में नस्बुल-ऐन पर पूरा यक़ीन और इसके साथ गहरी वाबस्तगी पैदा हो और वे दावत व तहरीक के कामों में सरगर्मी से हिस्सा लें।
- 2. तहरीक से जुड़े लोगों में फ़िक्री तरक्क़ी (वैचारिक उन्नित), फ़िक्री हमआहंगी (वैचारिक एकता) और भलाई और ख़ैरख़ाही का जज़्बा

- पैदा हो, वे एक-दूसरे के हाल से वाक़िफ़ हों, मुश्किलों और मसाइल के हल में ईसार (त्याग) और एक-दूसरे की मदद से काम लें।
- 3. तहरीक से जुड़े लोगों में इज्तिमाइयत की अहमियत का शुऊर, इज्तिमाई फ़ैसलों के एहितराम का जज़्बा और सुनने और अमल करने को अपने ऊपर लाजिम कर लेने का जज़्बा पैदा हो और जिम्मेदारों में मातहतों के साथ मुहब्बत व शफ़क़त का रवैया परवान चढ़े।
- 4. जमाअत के अन्दर शूराई (सलाह-मशवरे से काम करने का) मिज़ाज पुख़्ता हो और अपनी राय ज़ाहिर करने और तनक़ीद के इस्लामी आदाब को सामने रखा जाए।
- 5. फ़ैसले प्रभावशाली ढंग से लागू किये जाएँ और एहतिसाब और जाइज़े का निज़ाम मज़बूत हो।
- 6. छात्र-छात्राओं और नौजवानों की तंज़ीमों से जुड़े लोग तहरीक के लिए फ़ायदेमन्द बनें।
- 7. ज़्यादा-से-ज़्यादा मर्द और औरतें इक़ामते-दीन की जिद्दोजुहद में जमाअत के सहयोगी बनें और उनकी ताक़तों और सलाहियतों का इस मक़सद के लिए इस्तेमाल हो।
- 8. जिम्मेदारों की तरफ़ से जमाअत के लोगों और उसकी तंज़ीमी इकाइयों की इस्लाह के क़ाबिल पहलुओं पर बिना देर किए तवज्जोह दी जाए। अन्दरूनी इस्तेहकाम के लिए मुनासिब तदबीरें अपनाई जाएँ और ज़रूरत के मुताबिक़ तत्हीर (निष्कासन द्वारा संगठन को पवित्र करने) का एहतिमाम हो।

तंज़ीम (संगठन)

अहदाफ़ (लक्ष्य)

- तंज़ीम के इस्तेहकाम पर इस तरह तवज्जोह दी जाएगी कि तमाम जमाअतें हलक़े की शूरा के इत्मीनान की हद तक सीसा पिलाई हुई दीवार का नमूना बन जाएँ।
- 2. पाँच मेट्रो शहरों में योजनाबद्ध काम किया जाएगा, ताकि जमाअत समाज के हर तबक़े की एक जानी-पहचानी और प्रभावशाली शक्ति बन जाए।
- 3. कारकुन की मौजूदा तादाद में 50 प्रतिशत की बढ़ौतरी की जाएगी।
- 4. हर हलक़े में 30 प्रतिशत नई जगहों पर काम की शुरुआत की जाएगी, ख़ासकर उन जगहों पर जहाँ मुसलमानों की आबादी 25 प्रतिशत से ज़्यादा है।
- 5. हर हलक़े में अरकान की मौजूदा तादाद के अनुपात से 25 प्रतिशत नए लोगों को रुकनियत के स्तर तक लाया जाएगा।
- 50 नए ज़िलों में काम शुरू किया जाएगा।

प्रोग्राम व्यक्ति के लिए

- (1) जमाअत का हर व्यक्ति, तहरीक के लिए रोज़ाना कम-से-कम एक घंटा निकालेगा।
- (2) हर रुक्न (सदस्य) मीक़ात के दौरान जमाअत का दस्तूर (संविधान), जमाअत की रूदाद, जमाअत की तारीख़ (इतिहास) और तहरीकी शुक्रर का नए सिरे से मुताला (अध्ययन) करेगा।
- (3) हर रुक्न और कारकुन मीक़ात में कम-से-कम एक कारकुन

बनाएगा।

(4) हर रुक्न (सदस्य) और कारकुन (कार्यकर्ता) अपने ख़ानदान के लोगों और मुताल्लिक़ीन (सम्बन्धियों) को जमाअत, हलक़ा-ए-ख़वातीन GIO, SIO यूथिवंग और चिल्ड्रेन सिर्कल से जोड़ने की कोशिश करेगा।

मक़ाम के लिए

- (1) हर मक़ामी जमाअत भरपूर कोशिश करेगी कि वह 'बुनियाने-मरसूस' (सीसा पिलाई हुई दीवार) का नमूना बन जाए।
- (2) जमाअत से वाबस्ता (जुड़े) लोगों में इज्तिमाइयत की अहमियत का शुऊर, इज्तिमाई फ़ैसलों के एहितमाम का जज़्बा (भावना) और सुनने और इताअत करने की कैफ़ियत पैदा हो और ज़िम्मेदारान में मामूरीन (अधीनस्थों) के साथ मुहब्बत और शफ़क़त का रवैया परवान चढ़े। इस सिलिसले में हर मक़ामी जामआत मक़ामी अरकान पर आधारित तीन माह में एक इज्तिमा आयोजित करेगी।
- (3) हर जमाअत लाजिमी तौर पर हर माह निम्न इज्तिमाआत करेगी— (i) एहतिसाबी (ii) तर्बियती (iii) तंजीमी (iv) दावती।
- (4) हर मक़ामी जमाअत कारकुनों की मौजूदा तादाद में 50% इज़ाफ़ा (वृद्धि) करेगी।
- (5) हर मक़ामी जमाअत मौजूदा अरकान के तनासुब (अनुपात) से 35% नए लोगों को रुकनियत (सदस्यता) के मेयार (स्तर) तक लाने की कोशिश करेगी।
- (6) हर मक़ामी जमाअत अपने मक़ाम पर 'चिल्ड्रेन सर्किल' क़ायम करेगी। जहाँ क़ायम है वहाँ मज़बूत करने की कोशिश की जाएगी। इस सिलसिले में मक़ामी सतह पर CC कोऑर्डिनेटर भी तय किया

जाएगा।

- (7) हर मक़ामी जमाअत अपने मक़ाम पर 'यूथविंग, जमाअते-इस्लामी' क़ायम करेगी। जहाँ क़ायम है वहाँ मज़बूत करने की कोशिश की जाएगी।
- (8) हर मक़ामी जमाअत अपने मक़ाम पर 'ख़वातीन का हलक़ा' क़ायम करेगी। जहाँ क़ायम है, वहाँ मज़बूत करने की कोशिश की जाएगी।
- (9) हर मक़ामी जमाअत अपने मक़ाम पर 'GIO' क़ायम करेगी। जहाँ क़ायम है, वहाँ मज़बूत करने की कोशिश की जाएगी।
- (10) हर मक़ाम हर साल के आख़िर में मक़ामी मंसूबे की रौशनी में सरगर्मियों के जाइज़े के सिलसिले में 'यौमे-जाइज़ा' मनाएगी।

हलक़े के लिए

- (1) तंज़ीम (संगठन) को मज़बूत बनाने पर इस तरह तवज्जोह दी जाएगी कि तमाम जमाअतें हलक़े की शूरा के इत्मीनान की हद तक बुनियाने-मरसूस (सीसा पिलाई दीवार) का नमूना बन जाएँ।
- (2) कारकुनों (कार्यकर्ता) की मौजूदा तादाद में 50% बढ़ौत्तरी की जाएगी। इस सिलसिले में प्रदेश-स्तर पर दो बार पन्द्रह दिवसीय 'कारकुन साज़ी मुहिम' (कार्यकर्ता बनाओ अभियान) चलाई जाएगी। कोशिश की जाएगी कि समाज के तमाम ही तबक़ों (वर्गों) के सलाहियतमन्द (योग्य) लोग तहरीक में शामिल हो जाएँ।
- (3) हलक़ा, अरकान (सदस्यों) की मौजूदा तादाद के तनासुब (अनुपात) से 25% नए लोगों को रुकनियत (सदस्यता) के मेयार तक लाने की कोशिश करेगा।
 - इस सिलसिले में मीक़ात के दौरान 2 बार इलाक़ाई सतह पर

- रुकनियत के उम्मीदवारों, SIO, G-IO और यूथविंग से फ़ारिग़ होनेवालों और मुन्तख़ब कारकुनों (मर्द-ख़वातीन) के ख़ुसूसी कैम्प लगाए जाएँगे।
- (4) जमाअत से वाबस्ता (जुड़े हुए) लोगों और तंज़ीमी इकाइयों के इस्लाह व सुधार के क़ाबिल पहलुओं पर बिलाताख़ीर (अविलम्ब) तवज्जोह दी जाएगी और ज़रूरत के मुताबिक़ ततहीर (निष्काशन) का काम किया जाएगा। इस सिलसिले में एक तफ़तीशी (जाँच) कमेटी भी क़ायम की जाएगी।
- (5) हलक़े में 30% नए मक़ामात पर काम की शुरुआत की जाएगी। ख़ास तौर से उन मक़ामात पर जहाँ मुसलमानों की आबादी 25% से ज़्यादा हों।
- (6) मुम्बई मेट्रो में मंसूबाबन्द (योजनाबद्ध) तरीक़े से काम किया जाएगा ताकि जमाअत, समाज के हर तबक़े (वर्ग) में एक मारूफ़ (जानी-पहचानी) व मुअस्सिर (प्रभावशाली) क़ुव्वत बन जाए।
- (7) हलक़े की सतह पर नौजवानों को सुसंगठित करने के लिए एक स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा।
- (8) चिल्ड्रेन सर्किल की तौसी व इस्तेहकाम (Expanssion and Consolidation) के सिलसिले में हलक़े की सतह पर क़ायम शोबे (विभाग) को मज़बूत किया जाएगा।
- (9) नुज़मा-ए-ज़िला व इलाक़ा और नाज़िमात के लिए मीक़ात में दो बार ओरिएंटेशन कैम्प लगाए जाएँगे।
- (10)हर छह माह पर हलक़े के विभागों और ज़िले व इलाक़ों के नुज़मा व नाज़िमात (अध्यक्ष व अध्यक्षा) की कारकर्दगी का जाइज़ा लिया जाएगा।

- (11) मीक़ात के पहले साल इलाक़ाई सतह पर जमाअत से वाबस्ता लोगों (मर्द-ख़वातीन) और तीसरे साल हलक़े की सतह पर मक़ामी, ज़िलई और हलक़े के ज़िम्मेदारों पर मुश्तमिल (आधारित) तफ़हीमी व तंज़ीमी इज्तिमाआत किए जाएँगे।
- (12) कोशिश की जाएगी कि निम्न ज़िलों में जमाअत का परिचय कराया जाए और वहाँ जमाअत क़ायम करने की कोशिश की जाए। (i) संधोदुर्ग (ii) नान्दोबार (iii) गोंदिया (vi) पालघर।
- (13) कोशिश की जाएगी कि निम्न ज़िलों में जमाअत का काम फैले— (i) रायगढ़ (ii) रत्नागिरी (iii) पूना (iv) साँगली (v) सातारा (vi) कोल्हापुर (vii) शोलापुर (viii) धोलिया (ix) उस्मानाबाद (x) वाशिम (xi) वरधा (xii) भण्डारा (xiii) गढ़ चरौली।
- (14) मीक़ात के शुरू में अरकान (सदस्यों) के कुल हिन्द इज्तिमाअ में हलक़े के अरकान की शिरकत को यक़ीनी बनाने की कोशिश की जाएगी।
- (15) मीक़ात में हलक़े की सतह पर अरकान का एक इज्तिमा किया जाएगा।
- (16) हलक़े में 'स्टडी ग्रुप' को सरगर्म (सक्रिय) और मज़बूत किया जाएगा।
- (17) कोशिश की जाएगी कि इस मीक़ात में हलक़े के 20 शहरों में इदारा अदबे-इस्लामी की शाखें क़ायम हो जाएँ।

बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

फ़ॉर्म कारकुन

आदरणीय अमीरे-मुकामी/नाज़िमे-ज़िला/नाज़िमे-इलाका/अमीरे-हलका
जमाअते-इस्लामी हिन्द,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू,
मैंपुत्र/पुत्री
निवासीमुहल्लामकान नं
डाकख़ानाहलक़ाहलक़ा
का रहनेवाला/वाली हूँ।
1. मैंने जमाअते-इस्लामी हिन्द के दस्तूर (संविधान) की धारा 3 में दर्ज अक़ीदा
'लाइला-ह-इल्लल्लाहु मुहम्मदर्रुसूलुल्लाह' को उसकी व्याख्या के साथ अच्छी
तरह समझ लिया है और मैं गवाही देता/देती हूँ कि यही मेरा अक़ीदा है।
2. जमाअत के लक्ष्य (नस्बुल-ऐन) को उसकी व्याख्या (संविधान की धारा-4)
के साथ अच्छी तरह समझ लिया है और इक़रार करता/करती हूँ कि यही मेरे
जीवन का लक्ष्य है ।
3. जमाअत की कार्य-प्रणाली धारा 5 (संविधन जमाअत) को ध्यान से पढ़
लिया है और तस्लीम करता/करती हूँ कि मैं इसका पाबन्द रहूँगा/रहूँगी।
इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे जमाअत के कारकुन (worker) की हैसियत
से इक़ामते-दीन की ख़िदमत का मौक़ा दिया जाए ।
हस्ताक्षरदिनांकवस्सलाम
अन्य विवरण :
1. जन्म तिथि या आयु, 2. शिक्षा या शैक्षिक योग्यता, 3. व्यवसाय, 4.
जमाअत की कौन-कौन-सी किताबें पढ़ी हैं?
मैं तसदीक़ करता हूँ कि मेरे इल्म की हद तक उपर्युक्त विवरण सही है।
दरख़्वास्त मंज़ूर कर ली जाए । हस्ताक्षर कार्यकर्ता/सदस्य जमाअत
दरख़्वास्त मंज़ूर की जाती है ।
हस्ताक्षर : अमीरे-मुक़ामी/नाजिमे-जिला/नाजिमे-इलाक़ा/अमीरे-हलक़ा
दिनांक :





जमाअते-इस्लामी हिन्द, महाराष्ट्र राज्य

4/हामिद बिल्डिंग, पहली मंज़िल, 96/हाफ़िज़ अली बहादुर मार्ग, मौलाना आज़ाद रोड, मोमिनपुरा, मुंबई-400011

फ़ोन: 23082820, फ़ैक्स: 23052002 E-mail: office@jihmaharashtra.org